NEWS LETTER

December 2021

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR, M.P.

Celebrating World AIDS Day
(01.12.2021)

MPSLSA Organised an"Awareness And Health Check-Up Camp" for the transgender community on the occasion of World AIDS Day

Today on December 01, 2021, under the guidance of Hon'ble Chief Justice and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Shri Ravi Malimath and Hon'ble Administrative Judge, M.P. High Court & Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Shri Sheel Nagu "World AIDS Day" was celebrated by Madhya Pradesh State Legal Services Authority.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-12-03 | Page- 2
ehitavada.com

MPSLSA holds awareness, health camp for transgenders

MPSLSA officials & representatives of transgender community during programme on World AIDS Day.

■ Staff Reporter

THE Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) organised an awareness and health check-up camp for the transgender community under the guidance of Chief Justice and Patron-in-Chief, MPSLSA, Ravi Malimath and Administrative Judge, MP High Court and Executive Chairman, MPSLSA, Sheel Nagu on World AIDS Day, on Wednesday.

Short video films related to AIDS disease were also screened on the occasion. Transgender community was made aware of the prevention of AIDS and also their health check-up was done.

Speaking on the occasion, Member Secretary, Rajiv Karmahe said that all possible efforts would be made to solve the problems of transgender community and to avail the benefits of beneficial schemes related to them by establishing necessary coordination with the concerned departments and also efforts are necessary to bring the transgender community in mainstream of the society.

Further, information was given to organize awareness and sensitization programs across the State from time to time in future to increase transgender community's acceptance among the general public.

In the sequence, Chief Health and Medical Officer, Ratnesh Kuraria gave detailed information regarding the side effects of AIDS and its consequences. Dr. Dheeraj Davande DNO AIDS Control gave information about schemes related to HIV. Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officer gave information regarding provisions of AIDS (Prevention and Control Act 2017). Abdul Rahim, Kashish Chauhan and Brijmohan all members of transgender community apprised about the experiences of the transgender community and the difficulties faced by them in daily life. Atish Srivastava, Programme Officer gave information about the prevention, treatment and measures of AIDS.

The programme was conducted by Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and detailed information was given about the landmark Judgments regarding the community and various social and other aspects related to them.

Those also present were Arvind Shrivastava, Zeeshan Khan, Manisha Patel and members of transgender community.

Powered by iDocuments

Today on December 01, 2021, under the guidance of Hon'ble Chief Justice and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Shri Ravi Malimath and Hon'ble Administrative Judge, M.P. High Court & Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Shri Sheel Nagu "World AIDS Day" was celebrated by Madhya Pradesh State Legal Services Authority.

On the said occassion, an "Awareness And Health Check-Up Camp" was organized for Transgenders by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority in coordination with the Health Department and Short video films related to AIDS disease were also screened. Transgender community were made aware about the prevention of AIDS and also their health check-up were done.

On this occasion, Member Secretary, Shri Rajiv Karmahe said that all possible efforts would be made to solve the problems of transgender community and to avail the benefits of beneficial schemes related to them by establishing necessary coordination with the concerned departments and also efforts are necessary to bring the transgender community in mainstream of the society. Further, information was given to organize awareness and sensitization programs across the State from time to time in future to increase their acceptance among the general public.

In this sequence, Chief Health and Medical Officer, Shri Ratnesh Kuraria gave detailed information regarding the side effects of AIDS and its consequences. Dr. Shri Dheeraj Davande D.N.O. AIDS Control gave information about schemes related to HIV. Shri Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officer gave information regarding provisions of AIDS (Prevention and Control Act 2017). Mr. Abdul Rahim, Kashish Chauhan and Mr. Brijmohan all members of transgender community apprised about the experiences of the transgender community and the difficulties faced by them in daily life.

Mr. Atish Srivastava, Program Officer gave information about the prevention, treatment and measures of AIDS. The said program was conducted by Shri Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and detailed information was given about the landmark Judgments regarding the transgender community and various social and other aspects related to them.

In the above Program, Shri Rajiv Karmahe, Member Secretary, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Ratnesh Kuraria, CMHO, Dr. Shri Dheeraj Davande D.N.O. AIDS Control, Mr. Zeeshan Khan & Jitendra Mohan Dhurve- District Legal Aid Officer, Mr. Atish Srivastava, Program Officer HIV. AIDS, Manisha Patel Program Manager- Jagriti Yuva Manch Samiti, N.G.O. and members of transgender community were also present.

Various DLSAs organized awareness camp on the occasion of World Aids Day. In these camps secretaries of DLSAs giving extensive information about Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and informed that now AIDS is curable. AIDS is more a social illness rather than a physical problem which needs to be handled very sensitively.

फिल्म से ट्रांसजेंडर्स को किया जागरूक

विश्व एड्स दिवस पर आयोजन

जबलपुर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में ट्रांसजेंडर्स के लिए बुधवार को जागरूकता व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया। इस दौरान एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को जागरूक किया गया। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया, राजीव कर्महे, डॉ. धीरज दवंडे, जितेंद्र मोहन धुर्वे ने आवश्यक जानकारी दी। ट्रांसजेंडर समुदाय से अब्दुल रहीम, कशिश चौहान, बृजमोहन की मौजूदगी रही।

कसी पट्टी बाँधकर जताया विरोध - देश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम में कार्यरत स्टाफ का वेतन पुनरीक्षण वर्ष 2017 से नहीं हुआ है। जल्द से जल्द पुनरीक्षण की माँग को लेकर मप्र एड्स कंट्रोल एम्प्लॉई यूनियन के बैनर तले एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लैब टेक्नीशियन्स ने बुधवार को एड्स दिवस पर काली पट्टी बाँधकर विरोध जताया। लैब टेक्नीशियन्स सामूहिक अवकाश पर रहे।

Thu, 02 December 2021 https://epaper.bhaskarhindi.com/c/647031

जबलपुर, गुरुवार 02 दिसम्बर 2021 देशबन्धु 5

ट्रांसजेण्डर को मुख्य धारा में लाने प्रदेश स्तर पर जागरूकता के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम भी होंगे : राजीव कर्महे

विश्व एड्स दिवस पर ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

लघु वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही नई बचाव की जानकारी

2 जबलपुर, गुरुवार 2 दिसम्बर ,2021

नवभारत

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के न्यायमूर्ति रवि मालिमथ, मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति, के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभागके समन्वय से जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

Glimpses of Aids Day Celebrated at DLSAs across the State

ALIRAJPUR

ANUPPUR

ASHOKNAGAR

BALAGHAT

BARWANI

BHOPAL

BETUL

BHIND

BURHANPUR

CHHATARPUR

CHHINDWARA

DAMOH

DATIA

DEWAS

DHAR

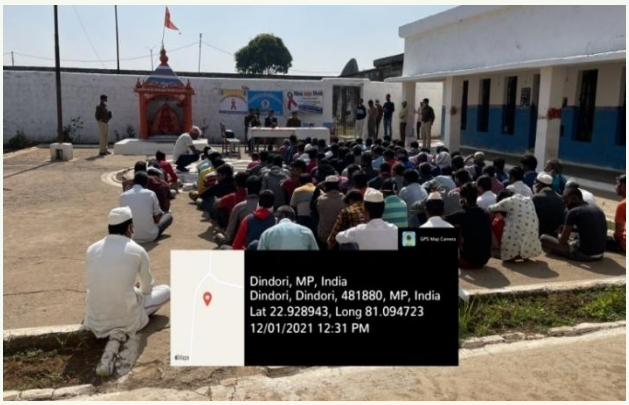

DINDORI

GUNA

GWALIOR

HARDA

HOSHANGABAD

INDORE

JABALPUR

JHABUA

KHANDWA

KATNI

MANDLA

MANDLESHWAR

MANDSAUR

MORENA

NARSINGHPUR

NEEMUCH

PANNA

RAISEN

RAJGARH

RATLAM

REWA

SAGAR

SATNA

SEHORE

SEONI

SHAHDOL

SHAJAPUR

SHEOPUR

SHIVPURI

SIDHI

SINGRAULI

TIKAMGARH

UJJAIN

UMARIA

VIDISHA

DRAWING, ESSAY, SLOGAN & RANGOLI COMPETITION ON WORLDS AIDS DAY

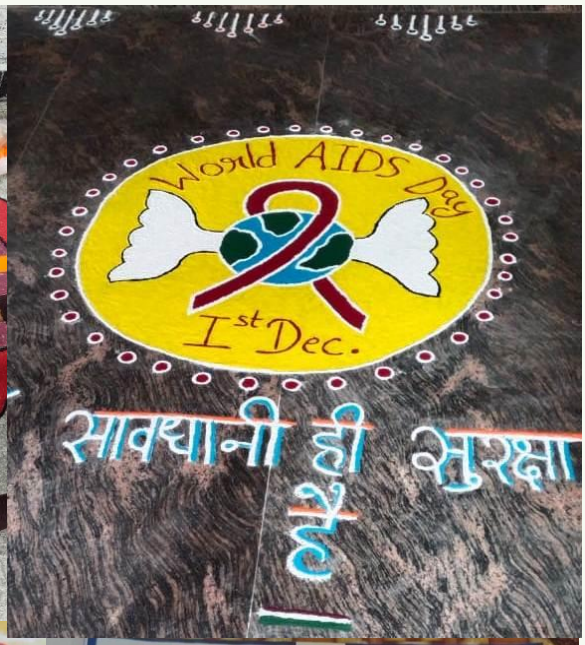

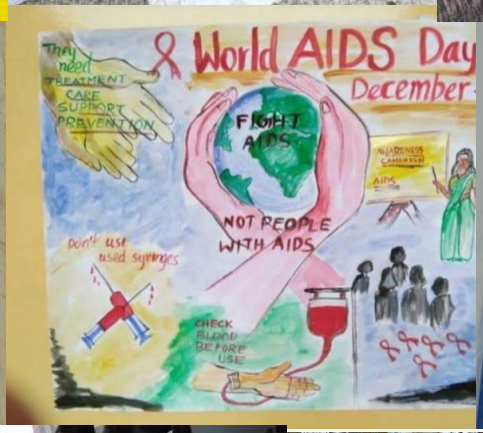

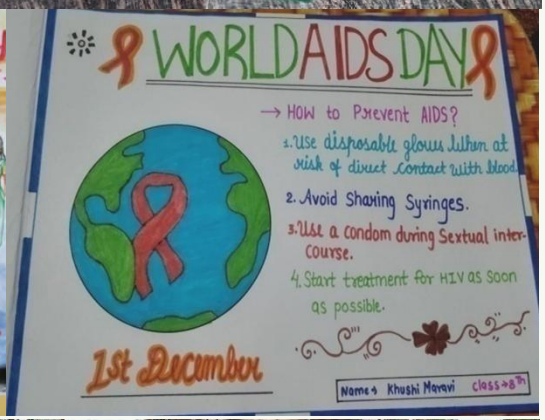

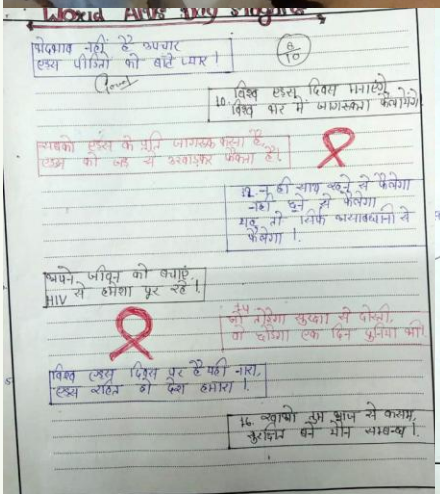

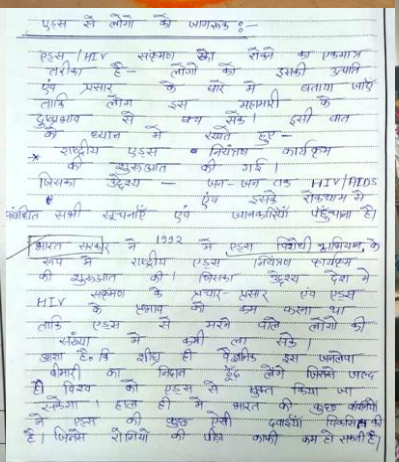

Celebrating International Disability Day (03.12.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 03.12.21 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग एवं एन.जी.ओ. के समन्वय से मूक बधिर विद्यालयों, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों हेतु आश्रमों में विधिक साक्षरता शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों, बच्चों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगितायों एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए पेंपलेट्स प्रदान किये गये। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगजन के विधिक अधिकारों एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों एवं बालकों के लिये पर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 एवं नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना–2015 के तहत भी शिविरों का आयोजन कर बिस्किट एवं फलों का वितरण किया गया। इसके साथ ही कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण हेतु कार्य कर रही संस्थाओं की जानकारी दी गई।

विश्व दिव्यांग दिवस
2021
खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता
GPS Map Camera
Seoni, Madhya Pradesh, India
Shop Number 12, Bada Mission School Complex, Barghat Rd, PWD Colony, Barapatthar, Seoni, Madhya Pradesh 480661, India
Lat 22.090295°
Long 79.550614°
03/12/21 03:33 PM
Barghat Rd
Google

विश्व दिव्यांग दिवस 2021
विचारगोष्ठी

कार्यालय
जनपद पंचायत सौंसर, जि- छिंदवाड़ा
कार्यालय ग्राम पंचायत कटेया
तहसील विधिक सेवा समिति

Celebrating International Human Rights Day (10.12.2021)

विश्व मानवाधिकार दिवस दिनांक 10.12.2021 के अवसर पर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया, इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ–साथ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी देते हुए कर्त्तव्य के संबंध में जागरूक किया गया।

2021.12.10

विश्व मानवाधिकार दिवस
के उपलक्ष्य
विधिक जाग
दिनां
गुना

मानव अधिकार
दिवस
अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
10 दिसंबर
जागरूकता कार्यक्रम

मानवाधिकार दिवस
10 दिसम्बर
OPPO Reno6 5G
2021/12/10 14:05

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय

विश्व मानव अधिकार दिवस

विधिक साक्षरता शिविर
न्याय सबके लिए
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय, शिवपुरी म.प्र.
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/12/10 13:56

National Lok Adalat

REMARKABLE NUMBER OF CASES DISPOSED IN NATIONAL LOK ADALAT ON 11th DECEMBER 2021

Under the direction of National Legal Services Authority (NALSA), the last National Lok Adalat of the year 2021, was organized on **11th December 2021** across the State under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, the Chief Justice & Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu, the Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority-Jabalpur. In the State of Madhya Pradesh, **1376** Benches for National Lok Adalat were constituted from Districts upto Taluka level and **17** benches were constituted at High Court level. As per information received, around **1,24,562** cases including **36,457** pending matters and **88,105** Pre-litigation matters were successfully resolved resulting in settlement amount of **Rs. 544,51,13,349/-** approx. In this National Lok Adalat approx **4,935** MACT (Motor Accident Claim) cases amount of **Rs. 142,04,06,998/-** and **5,719** Electricity act cases amount of **Rs. 10,72,87,549/-** were settled.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-12-11 | Page- 1
ehitavada.com

National Lok Adalat in all courts today

Member Secretary of MPSLSA, Rajiv Karmahe in a press conference on Friday.

■ Legal Correspondent

IN ACCORDANCE with directions of National Legal Services Authority, New Delhi and under the guidance of Justice Ravi Malimath, Chief Justice and Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority and Justice Sheel Nagu, Executive Chairman, MP State Legal Services Authority, Jabalpur, National Lok Adalat is being organised on Saturday in High Court Principal Seat Jabalpur and benches at Gwalior and Indore, District Courts, Taluka Courts, Labour Courts, Family Courts and other courts in the State," informed by Member Secretary of MPSLSA, Rajiv Karmahe in a press conference on Friday. Nature of pending cases in various courts to be placed under National Lok Adalat scheduled on 11th December 2021 are as follows :- Criminal Compoundable Cases, Section 138 Negotiable Act, Bank recovery, MACT (Motor Accident Compensation Claim), Labour Dispute, Electricity and Water Tax/Bill related, Matrimonial, Land Acquisition, Service matters related to retirement benefits, Revenue (District only / Pending in the High Court), Civil, Pre-litigation, Bank Recovery related, Labour dispute etc.

In the National Lok Adalat scheduled to be held on 11th December 2021, more than 1350 benches have been constituted across the State and more than 1.85 Lac Pending and more than 3.50 Lac Pre-litigation cases have been referred for disposal.

The general public/litigating parties are requested by Member Secretary, MPSLSA Rajiv Karmahe to get the maximum benefit of the exemption under National Lok Adalat and participate in maximum number. Additional Secretary, Manoj Kumar Singh, Arvind Shrivastava also present in press conference.

Powered by iDocuments

Hon'ble High Court at Principal Seat- Jabalpur & Benches at Indore & Gwalior also organized National Lok Adalat and around **1278** cases were settled through mutual consent.

As the numbers of pending cases have increased due to Covid-19 pandemic, MPSLSA prepared a strategy to settle maximum number of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism. In pursuance of that, Legal Services Authorities conducted several meetings with various stakeholders at every level with an objective to ensure maximum co-operation and co-ordination. It has also been ensured that District Authorities shall follow a litigant friendly approach as well as persuade parties of such litigations in which propositions of law are involved to settle the cases in National Lok Adalat.

National Lok Adalat was organized across the State including Principal Seat Jabalpur & Benches at Gwalior & Indore of Hon'ble the High Court of M.P. and at all the District Courts, Taluka Courts, Labour Courts, Family Courts and other courts/tribunals in the State. Under the supervision of Hon'ble the Patron in Chief and guidance of the Hon'ble the Executive Chairman of MPSLSA, the figure of disposed cases tremendously increased in comparison of earlier National Lok Adalats of the year 2021 organized in the State.

The success is attributable to the leadership of Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, the Chief Justice & Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and motivation & guidance of Executive Chairman, MPSLSA Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu. Under his Lordship's constant guidance, Shri Rajiv Karmahe, Member Secretary, MPSLSA, Shri Manoj Kumar Singh, Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary and Senior Officials of the MPSLSA, conducted several meetings with all Insurance Companies, Bankers, Secretaries, Family Court Judges and all the Presiding Officers of the Labour Courts. Result of which has appeared in the present National Lok Adalat.

Shri Rajiv Karmahe, Member Secretary, MPSLSA, also emphasized that quick disposal of cases also give strength to our economy, he also apprised that along with Courts, tribunals and Legal Services Institutions, Members of the BAR, Print & Electronic Media and PLVs played a major role for wide publicity and in reaching to the common people spreading the message of organization of Lok Adalat on **11th December 2021** and to obtain early, easy & accessible justice by mutual understanding.

70 हजार से अधिक प्रकरणों का किया गया निराकरण

नेशनल लोक अदालत में वर्षों के गिले-शिकवे चंद मिनटों में हुए दूर

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-12-12 | Page- 1

70,111 court cases, matters at pre-litigation stage disposed of in National Lok Adalat

Staff Reporter

NATIONAL Lok Adalat was organised successfully across Madhya Pradesh following the directions of National Legal Service Authority (NLSA), New Delhi and under the guidance of Justice Ravi Malimath, Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and Justice Sheel Nagu, Administrative Chairman, MPHC and Executive Chairman, MP State Legal Service Authority (MPSLSA).

Nearly 70,111 matters related to court cases and a number of matters at the pre-litigation stage were disposed of during the National Lok Adalat, on Saturday. Special division benches were constituted for disposal of the cas-

Judges, senior office-bearers of MPS the National Lok Adalat.

es at principal seat of the Madhya Pradesh High Court, Jabalpur, Indore and Gwalior benches

Powered by iDo

नेशनल लोक अदालत

70 हजार से अधिक मामलों का मौके पर हुआ निराकरण, दो अरब से अधिक का वितरित किया गया मुआवजा

पक्षकारों को मिला त्वरित न्याय, खिल उठे चेहरे

नगर निगम के खाते में जमा हुआ 2 करोड़ 10 लाख का टैक्स

26 दिसम्बर से शुरू हो

Statistical Data of National Lok Adalat

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, Special Lok Adalats for all matters through hybrid mode was scheduled on **11.12.21** at the High Court and District Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
3016	1278	7,48,30,724/-	4979

Disposal at Distt. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
752952	123284	5,37,02,82,625/-	1019094

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
755968	124562	5,44,51,13,349/-	1024073

Disposal at Real Estate Regulatory Authority

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
63	30	3,57,94,973/-	30

The natures of matters disposed through online mode are MACT, NI Act, Civil Disputes and Criminal Compound matters.

Success Story of National Lok Adalat

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर

पति-पत्नी के मध्य हुआ समझौता

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर की खण्डपीठ द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में लंबित दाम्पत्य विवाद के विविध प्रकरण क्रमांक 17/2020 में समझौता कराया गया।

अलीराजपुर जिले के ग्राम–अजन्दा निवासी महिला का अपने पति से पिछले लगभग एक वर्ष से मतभेद चल रहा था। आवेदिका व पुत्रों के भरण पोषण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

दिनांक 11.12.2021 को नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी द्वारा पति–पत्नी को पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से समझाया गया, जिससे पति–पत्नी आपसी सहमति से समझौता हेतु तैयार हुए। आपसी समझौता होने पर दोनों दम्पति ने आपस में फूल माला पहनाई एवं राजी–खुशी घर लौटे तथा उन्हें समझौता फलस्वरूप फलदार वृक्ष का पौधा भी भेंट किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,छतरपुर

ग्राम भगवंतपुरा, थाना ओरछा रोड छतरपुर निवासी आवेदिका पत्नी का विवाह शक्ति मॉ कॉलोनी, डिसलरी रोड़ नौगांव निवासी पति से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार लगभग 8 साल पूर्व हुआ था। आवेदिका के पिता ने अपनी लड़की को विवाह में 51000/– नगद एक मोटर साईकिल तथा दहेज का पूरा सामान लगभग 4–5 लाख रूपये का दिया था, लेकिन शादी के बाद आवेदिका के ससुराल वालों ने आवेदिका पर दहेज कम लाने का दबाव बनाना एवं बेटा न होने के कारण आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना देने लगे तथा और पैसों की मांग करने लगे। ससुराल वालों की प्रताडना के कारण आवेदिका ने कुटुम्ब न्यायालय जिला छतरपुर में वर्ष 2020 में धारा 125 द.प्र.सं. का प्रकरण दायर करवाया तब से लेकर निरतंर प्रकरण चल रहा था। अतः आवेदिका का प्रकरण आज दिनांक 11.12.2021 को नेशनल लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय की गठित खण्डपीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें उभयपक्षों को खण्डपीठ क्रमांक 01 के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों द्वारा दोनो पक्षों को समझाईश दी गई दोनो पक्ष राजीखुशी से साथ रहने हेतु तैयार हुए ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

कोरोना से पति की मृत्यु होने के बाद अपने अधिकार के लिए लड़ी पत्नी और पुत्र को मिला उसका हक

जिला अलीरापुर की तहसील थांदला का रहा जिसमें आवेदिका ने अपनी पति की कोविड से मृत्यु होने पर अपने हक और अधिकार के लिए जिला न्यायालय में प्रधान जिला न्यायाधीश की खण्डपीठ के सम्मुख करीब 3 करोड़ 83 लाख रूपये का दावा लगाया। यह दावा विगत 2 दिसम्बर को लगाया गया था और इसमें वादी की ओर से प्रकरण की पैरवी तथा प्रतिवादी अर्थात श्रीमती सुमन कारा के सुसर कैलाश और देवर वैभव कारा की ओर से प्रकरण का संचालन अधिवक्ता थांदला द्वारा किया गया। महज 9 दिन के भीतर ही यह मामला निराकृत हुआ। जिसमें शनिवार को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में यह निर्णय हुआ कि पति की मृत्यु के बाद उसके पुत्र के नाम से करीब 2 करोड़ राशि की एफडी करवाई जाएगी साथ ही पत्नी सुमन को भी अधिकार प्रदान करते हुए उनके बैंक अकाउंट में उचित धनराशि जमा करवाए जाने के साथ ही उनकी पत्नी के नाम से मकान दान–पत्र में देने की कार्यवाही भी होगी। जिस पर दोनों पक्षों की सहमति बनी।

जमीन को लेकर हुए विवाद में तीन भाईयों ने गले मिलकर झगड़ा किया समाप्त

ग्राम नाहरपुरा में जमीन को लेकर तीन भाईयों के बीच विवाद हो गया था, इसमें फरियादी के रूप में नागला डामोर ने जिला न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें नेशनल लोक अदालत में तीनों भाईयों के बीच सुलह–समझौता हुआ और उन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष गले मिलकर एक–दूसरे को पुष्पहार पहनाकर अपने सारे गिले शिकवे दूर किए एवं तीनों भाईयों को भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करने पर समझाईस देकर न्याय के रूप में पौधे भेंट किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 44/2018 में आवेदिका अपने पति के साथ अपने ससुराल कोलुआ में निवास करती थी। आवेदिका जब गर्भवती थी तब उसके पति ने उसे मारपीट कर निकाल दिया था। विगत 4–5 साल से आवेदिका एवं उसके बच्चे अपने पिता के यहां निवास कर रहे थे। दिनांक 11/12/2021 लोक अदालत में आवेदिका द्वारा अपने पति से भावनात्मक लगाव होना व्यक्त किया, पर साथ ही मन में डर की भावना होना बताया कि कहीं उसका पति वापस नशाखोरी की आदतों में लगकर उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेगा। अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा अनावेदक को समझाया गया कि परिवार के दायित्वों को पूर्ण निर्वहन किया जाना आवश्यक है। अनावेदक पति ने भी बताया कि वह परिवार के लिये अच्छा करना चाहता है पर बेरोजगारी के चलते परिवार के साथ दुर्व्यवहार कर बैठा एवं उसके बाद कभी भी आवेदिका पत्नि से ठीक से संवाद नहीं किया। अनावेदक द्वारा आवेदिका को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं आने देगा एवं आवेदिका से माफी मांगी। पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ के सदस्यों द्वारा आवेदिका के अधिवक्ता के माध्यम से उभयपक्ष को समझाइश देकर नेशनल लोक लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का राजीनामा कर दोनों पक्षकार आपसी मतमुटाव भुलकर साथ रहने के लिए तैयार हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद

पत्नि की कैंसर से मृत्यु के पश्चात् पिता ने पुत्री को अपनाया उसके जीवन निर्वह की जिम्मेदारी उठाने हुआ राजी

नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 को कुटुम्ब न्यायालय में वर्ष 2019 से लंबित एक ऐसे प्रकरण का निराकरण किया गया, जिसमें पिता ने अपनी पत्नि एवं 02 पुत्रियों को घर से निकाल दिया था। पत्नि ने अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण का दावा 13 अगस्त 2019 को लगाया, किंतु पत्नि को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मॉ की कैंसर से मृत्य हो जाने के पश्चात् पुत्री ने अपने पिता के विरूद्ध भरण–पोषण का दावा लगाया, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पिता और पुत्री को समझाईश दी जिसके पश्चात् पिता अपनी पुत्री को अपने साथ रखने, उसके भरण–पोषण, जीवन निर्वहन एवं विवाह समारोह की समस्त जिम्मेदारियां उठाने के लिए राजी हो गये है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

21 वर्षों से चल रहे सिविल विवाद में हुआ समझौता

जिला सीधी की तहसील गोपदबनास के पक्षकारगण के मध्य जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। विवाद न्यायालय में विगत 21 वर्षों से विचाराधीन था। यह विवाद ग्राम पडखुरी तथा ग्राम हड़बड़ों में स्थित 67 एकड़ भूमि का था तथा विवाद इतना अधिक हो गया था कि एक ही परिवार के चारों भाईयों में आपसी व्यवहार समाप्त हो चुका था। प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा उभय पक्षों को दी गई समझाईश एवं प्रयास तथा विशेष न्यायाधीश अधिवक्ता द्वारा किये गये सहयोग के आधार पर सभी भाईयों ने अपने बीच के मतभेद समाप्त कर लिये तथा जमीन के बंटवारे पर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर लिया। उनके मध्यम पुनः भाईचारा स्थापित हो गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

05 माह की गर्भवति महिला के विवाद का राजीनामे के माध्यम से किया अंत

नेशनल लोक अदालत में एमजेसी प्रकरण में आवेदिका को उसके पति द्वारा प्रताड़ित कर तीन माह से छोड़ रखा था, जिससे परेशान होकर आवेदिका द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में भरण–पोषण का प्रकरण दर्ज कराया था, आवेदिका की एक पुत्री है तथा आवेदिका वर्तमान में 05 माह की गर्भवती है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कई बार समझाईश दी जाकर प्रकरण का निराकरण किया गया। राजीनामा होने से दोनों पक्ष खुश हुये और यह भी व्यक्त किया कि वह अब कभी नहीं लड़ेगे तथा सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से एक बनते हुए परिवार को बिगडने से बचा लिया गया।

Preparation of National Lok Adalat

जिला एवं सत्र न्यायालय,
जिला न्यायालय-धार

नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत

जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ म.प्र.

जय महाकाली
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम
नेशनल लोक अदालत
आयोजन दिनांक 11 दिसम्बर 2021
आयोजन स्थल: जिला न्यायालय, रतलाम एवं
तहसील न्यायालय जावरा, आलोट, सैलाना

Glimpses of National Lok Adalat

नेशनल लोक अदालत

विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श केन्द्र
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला
आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
नीमच(म.प्र.)
हेल्प डेस्क
- सम्पर्क -
टोल फ्री हेल्प लाईन नं. 15100/(07423)-231

नेशनल लोक अदालत
दिनांक 11.12.2021

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/12/11 13:55

लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला में उपस्थित होकर निर्मला हायर सेकेण्डरी विद्यालय मण्डला की प्राचार्य द्वारा उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उनके स्कूल के समक्ष मुख्य द्वार पर नगर पालिका द्वारा निर्मित नाली के चेंबर टूट गए है जिसकी कई बार शिकायत के बावजूद सुधार कार्य नहीं किया गया है। उक्त आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाकर जनउपयोगी लोक अदालत के माध्यम से नगर पालिका मण्डला को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाये, जिसके तारतम्य में किया जाकर अवगत कराये जिस पर नगर पालिका मण्डला द्वारा त्वरित उन चैम्बरों का निर्माण कार्य कराया गया।

स्कूल के सामने जानलेवा गड्ढा नपा ने किया बंद

भास्कर न्यूज़, मंडला

जिला मुख्यालय मण्डला में बस स्टैंड के समीप स्थित निर्मला हायर सेकेण्डरी स्कूल के मेन गेट के सामने मेन रोड़ पर नाली का चेम्बर सर्कल में खुला था जिसके कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सकती थी, नपा के द्वारा इस गड्ढे को जनउपयोगी लोक अदालत से नोटिस मिलने के बाद बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर स्कूल में आयोजित किया गया था इस दौरान शाला प्रबंधन द्वारा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ प्रीति श्रीवास्तव को समस्या के संबंध में बताया गया, जिला न्यायाधीश ने समस्या को लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में रखा तथा नगरपालिका एवं लोक निर्माण विभाग को नोटिस देकर तलब किया गया एवं दोनों ही विभागों को नाली का चेम्बर (गढ्ढे) को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। आदेश का पालन करते हुये नगर पालिका द्वारा उक्त गढ्ढे बंद कर दिये गये है। इस प्रकार लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के माध्यम से जनसामान्य से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निराकरण किया जा रहा है।

जनउपयोगी लोक अदालत के निर्देश पर स्कूल के सामने का गड्ढा बंद किया गया

गड्ढे के सामने स्टापर लगाकर सुरक्षित किया गया। ● नईदुनिया

मंडला (नईदुनिया न्यूज)। जनउपयोगी लोक अदालत के माध्यम से निर्मला हायर सेकंडरी स्कूल के सामने नाली में बना जानलेवा गड्ढा बंद कराया गया। जिला मुख्यालय मंडला में बस स्टेंड के समीप स्थित निर्मला हायर सेकंडरी स्कूल के मेन गेट के सामने मेन रोड पर नाली का चेंबर सर्कल में खुला हुआ था। जिसके कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कारित हो सकती थी। शाला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान शाला प्रबंधन द्वारा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला डॉ प्रीति श्रीवास्तव को उक्तसमस्या के संबंध में बताया गया। जिला न्यायाधीश ने उक्तसमस्या को लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में रखा तथा नगरपालिका एवं लोक निर्माण विभाग को नोटिस देकर तलब किया गया। दोनों ही विभागों को नाली का चेंबर को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। उक्तआदेश का पालन करते हुए नगर पालिका द्वारा गड्ढे को बंद कराया गया। इस प्रकार लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के माध्यम से जनसामान्य से जुड़े; मामलों का त्वरित गति से निराकरण किया जा रहा है।

मध्यस्थता योजना

सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर

माननीय अध्यक्ष महोदय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के पूर्व दिनांक 11/11/2021 को विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समूहों एवं संगठनों के प्रबुद्धजनों एवं पदाधिकारियों का बैठक आयोजित कर समाज में व्याप्त विवादों को प्रारंभिक स्तर पर निराकरण किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पॉल प्रशासनिक न्यायाधिपति/अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एवं माननीय न्यायाधिपति/अध्यक्ष, मीडिएशन मॉनीटरिंग सब–कमेटी इन्दौर, श्री विवेक रूसिया द्वारा उपस्थित गणमान्य नागरिकों के समक्ष यह व्यक्त किया गया कि यदि समाज के प्रतिष्ठित/प्रबुद्ध व्यक्ति समाज में व्याप्त पारिवारिक एवं अन्य भावनात्मक विवादों के प्रारंभिक स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण हेतु सहयोग प्रदान करेंगे तो न केवल न्यायालय के समक्ष आने वाले प्रकरणों की संख्या में कमी होगी अपितु कई परिवार टूटने से बच जाएँगें ।

उक्त बैठक में उपस्थित प्रबुद्धजनों द्वारा अपने समाज के ऐसे प्रबुद्धजनों का चयन कर प्रशिक्षण हेतु नाम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर को दिये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई तथा प्रत्येक समाज से 5 से 10 नामों का प्रस्ताव सामुदायिक मध्यस्थता वालेंटियर के रूप में प्रषिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर एवं चेयरमैन, उच्च न्यायालय मीडिएशन मॉनीटरिंग सब–कमेटी, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा 7 दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रषिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ (दिनांक 28 नवम्बर 2021) मीडिएशन मॉनीटरिंग सब–कमेटी इन्दौर के सदस्यगण श्री सुनील गुप्ता, श्री सूरज शर्मा, मास्टर ट्रेनर्स श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, श्री राजीव कर्महे, सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, डॉ. मो0 शमीम पोटेंषियल ट्रेनर एवं श्रीमती आरती शर्मा पोटेंशियल ट्रेनर, प्रिंसिपल

रजिस्ट्रार/सचिव, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार (एम) की उपस्थिति में किया गया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विवेक रूसिया द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर विवादों के निराकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एक अच्छी शुरुआत है ।

प्रषिक्षण सत्र की शुरूआत करते हुए पोटेंशियल ट्रेनर श्री राजीव कर्महे, सदस्य सचिव म0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए सभी प्रतिभागियों को विषय–वस्तु से अवगत कराया। पोटेंशियल ट्रेनर श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा सभी प्रतिभागियों को संघर्ष की प्रकृति एवं मनोविज्ञान, संघर्ष प्रबंधन, मध्यस्थता के लाभ, मध्यस्थों की भूमिका, सुलहकर्ता एवं अधिनिर्णायक से मध्यस्थ की भिन्नता एवं गुण के संबंध में प्रषिक्षण दिया।

प्रषिक्षण कार्यक्रम के दौरान, पोटेंशियल ट्रेनर डॉ. मोहम्मद शमीम तथा पोटेंशियल ट्रेनर श्रीमती आरती शर्मा द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया और चरण के अन्तर्गत परिचय, समझौता सफल एवं असफल, उद्घाटक कथन, संयुक्त सत्र एवं बैठक, मध्यस्थता में संचार, संचार कौषल , पक्षकारों के शारीरिक हाव–भाव एवं उनसे सही प्रष्न पूछने के तरीकों, समझौता वार्ता, सौदेबाजी, गतिरोध, गतिरोध प्रबंधन, आदि विषयों के बारे में जानकारी प्रदाय की गई । प्रतिभागियों को दो ग्रुप में विभाजित कर कृत्रिम अभ्यास भी कराया गया। मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाने के उद्देष्य से डॉ. खालिदा दुधाले, प्रोफेसर एवं मनोवैज्ञानिक, न्यू जी. डी.सी. कॉलेज इन्दौर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

प्रषिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन, दिनांक 04/12/2021 को विषय–वस्तु का पुनरावलोकन कराते हुए कृत्रिम अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों के कौषल का परीक्षण किया गया तथा समझौता अनुबंध लेखन का अभ्यास कराया गया। श्री बी. के. द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव द्वारा श्री नवीन पाराषर, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, श्री ए. व्ही. मण्डलोई, रजिस्ट्रार(एम), श्री मनीष श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर तथा अन्य गणमान्य सभाजनों की उपस्थिति में समाज में सौहार्द्र एवं समरसता को बढ़ावा देते हुए निःषुल्क एवं निष्पक्ष मध्यस्थता कराये जाने के उद्देष्य से सभी प्रतिभागियों को शपथ/प्रतिज्ञा दिलाकर उक्त कार्यक्रम का समापन किया गया तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया।

मध्यस्थता से संबंधित सफलता की कहानियां....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में दिनांक 30.09.2021 को न्यायालय चौदहवें जिला न्यायाधीश द्वारा एक प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा मध्यस्थ/पच्चीसवें जिला न्यायाधीश को मध्यस्थता हेतु रेफर किया गया ।

न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति पाण्डेय के न्यायालय मे सिविल प्रकरण में आवेदक श्री मुकेश कुमार सूरी एवं अन्य 4 विरूद्ध श्री मनीष सक्सेना एवं अन्य 2 के लंबित प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद में राशि रूपये 1,56,00,000/– का विवाद चल रहा था। उक्त प्रकरण से संबंधित 21 आपराधिक प्रकरण (भारतीय परक्राम्य लिखित अधिनियम), 3 सिविल प्रकरण, 1 अपंजीकृत परिवाद प्रकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई 9 याचिकाएं लगी हुई थी। इस प्रकार कुल 34 प्रकरण उभयपक्ष के मध्य न्यायालय में लंबित चल रहे थे।

उभयपक्ष के मध्य दिनांक 07.12.2021 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्रीमती गिरिबाला सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं 25वें जिला न्यायाधीश श्री की उपस्थिति में एक ही पक्षकारगण के मध्य लंबित 34 प्रकरणों में मध्यस्थता के माध्यम से सुलह कार्यवाही करते हुए सुलह अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रकरणों का निराकरण किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला में उपस्थित होकर आवेदक पति द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसकी पत्नी आपसी मतभेद को लेकर अपने मायके चली गई है। प्रस्तुत आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाकर दोनों पक्षों को बुलवाया गया एवं उन्हें उन्हें एक माह साथ में रहकर समय व्यतीत करने की समझाईश दी गई। तत्पश्चात दिनांक 23.12.2021 को दोनों पति–पत्नी को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बुलवाया गया, जिसमें उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अब हमारे बीच में कोई आपसी मतभेद नहीं है। इस प्रकार मध्यस्थता के माध्यम से एक परिवार को बिखरने से बचाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्र वधू के साथ संपत्ति विवाद में बेटा–बहू के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा श्रीमती कृष्णा देवी की बहू द्वारा भी एक आवेदन पत्र सास–ससुर द्वारा उसे प्रताड़ित करने, घर से बाहर निकाल देने की धमकी देने व दहेज के लिए परेशान करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया गया। जिसके संबंध में उभयपक्ष को बुलाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समझाईस दी गई। दो दिवसीय लगातार समझाईश दिए जाने के उपरांत सास–ससुर एवं पुत्र तथा पुत्र वधू के मध्य आपसी समझौता कराया जाकर बुजुर्ग दंपत्ति के परिवार को टूटने से बचाया गया।

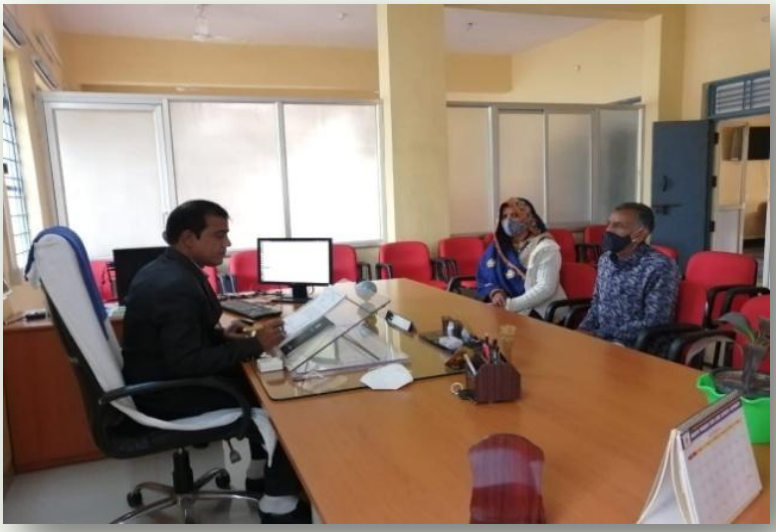

MEDIATION AWARENESS PROGRAMMES BY DLSAS

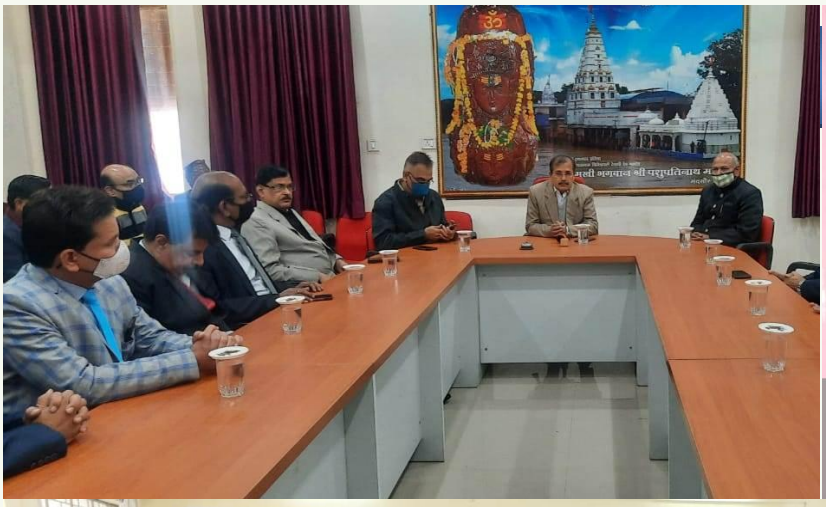

"मीडियेशन जागरुकता कार्यक्रम"
-: सौजन्य से :-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय ज्योपुर (म.प्र.)
2021-12-17(Fri) 04:15(PM)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
"मीडिएशन जागरुकता कार्यक्रम"
अधिवक्ता दिवस

मीडिएशन जागरूकता शिविर
मीडिएशन जागरूकता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय मंदसौर

Reaching out to Jail Inmates

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा आयोजित जेल निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि जेल में दण्डित बंदियो के बैंक खाते खुलवाये जाने हेतु काफी समय से प्रयास किये जाने उपरांत भी बैंक प्रबंधन द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे दण्डित बंदियो द्वारा जेल में निरूद्व अवधि के दौरान किये गये कार्यो का भुगतान किये जाने में काफी परेशानी आ रही है। जिसके पश्चात् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर द्वारा तत्काल जेल के समीपस्थ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारीगण से चर्चा कर जेल में निरूद्व बंदियो के बैंक खाते खुलवाये जाने हेतु सहयोग किये जाने हेतु कहा गया, जिसके पश्चात् बैंक प्रबंधन द्वारा तत्काल खाते खुलवाये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियो को निर्देशित किया गया। वर्तमान में लगभग 100 से अधिक दण्डित बंदियों के खाते खुल चुके है तथा अन्य बंदियो के बैंक खाते खुलवाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा दिनांक 30.11.2021 को जिला जेल कटनी का निरीक्षण एवं साक्षरता शिविर किया गया, जिसमे जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुनते हुये उनके निराकरण हेतु जिला जेल कटनी के अधिकारीगण को आवश्यक निर्देश प्रदान किये। शिविर के दौरान बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, प्ली–बार्गेनिंग एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जनकारी प्रदान की।

जेल निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा जिला जेल कटनी की अधीक्षक से जेल बंदियों के बौद्धिक विकास हेतु जेल की उपयोगहीन भूमि को गार्डन के रूप में विकसित कर उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा पुष्प पौधों को रोपित कराये जाने अनुरोध किया था, जिस पर से जेल अधीक्षक द्वारा उक्त कार्य में रूचि लेते हुये जेल बंदियों की सहायता से जेल में मौजूद उपयोगहीन भूमि में विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगवायी गयी एवं उक्त सब्जियों का उपयोग जेल में स्थित रसोई घर में किया जाने लगा।

Camp & Jail Inspection by DLSAs

विधिक साक्षरता शि

विधिक साक्षरता
शिविर
विधिक साक्षरता
शिविर
जिला व्यवहार - मण्डलेश्वर

2021/12/24 11:47

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Working for Enviornment

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a large tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

(a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.

(b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.

मां नर्मदा के तटों पर संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा (म0प्र0) द्वारा दिनांक 17.12.2021 को मांधाता (औंकारेश्वर) स्थित नागर घाट व अभय घाट पर नगर परिषद मांधाता की स्वच्छता टीम व नागर घाट के स्वयंसेवी संगठन के समन्वय से नर्मदा स्वच्छता अभियान की मॉनीटरिंग का कार्य संपादित किया गय।

इस अवसर पर घाटों पर साफ–सफाई की गई, उपस्थित लोगों को घाटों पर कचरा न फेंकने व घाटो को साफ–सुथरा बनाये रखने हेतु सुझाव दिये गये। टीम द्वारा घाट पर बिखरी पूजन सामग्री एवं लावारिस वस्तुओं को हटाकर गंदगीमुक्त किया गया। इस दौरान स्नान एवं पूजा करने वाले श्रृद्धालुओं को नहाने के दौरान साबुन शैम्पू का प्रयोग नही करने व नर्मदा में कपड़े, जूते–चप्पल नहीं धोने व पूजन सामग्री विसर्जन न करने हेतु जागरूक किया गया।

वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना) 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 09.12.2021 को स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र, राजगढ़ में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवा योजना) 2015 की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विशेष गतिविधियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जन–सुनवाई के दौरान जरूरतमंदों की समस्याओं से संबंधित आवेदन तैयार करने एवं विधिक सहायता से संबंधित आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी प्रेषित किये जाने हेतु पैरालीगल वालेंटियर की ड्यूटी नियत की गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा भगवान पशुपतिनाथ मेले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से आमजन को जागरूक किये जाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया एवं मेले में स्टॉल स्थापित कर पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से मेले में आने वाले व्यक्तियों को बैनर एवं पेम्पलेट्स के माध्यम जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा दिनांक 14.12.2021 को ए.डी.आर भवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागणों ने नेत्र परीक्षण करवाकर शिविर का लाभ उठाया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ द्वारा दिनांक 16.12.2021 को एन.जी.ओ. के समन्वय से कोविड–19 के कारण प्रभावित प्रवासी मजदूर परिवार के दिव्यांग सदस्यों की सहायता हेतु शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा चलित लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है, जिसमें पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त कर आमजन को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है तथा विधिक सहायता हेतु आवेदन भी प्रदान किये जाते है।

विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा दिनांक 02.12.2021 को ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय नीमच में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विवाद विहीन ग्राम योजना–2000 के अंतर्गत ग्राम को विवाद –विहीन बनाये जाने के उपाय, उसे चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया, ग्राम में स्वयं सेवी सेवा दल की भूमिका में बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ग्रामीणजन के मध्य उत्पन्न होने वाले छोटे–छोटे विवादों का आपसी समझौतों के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 13.12.2021 को विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 अंतर्गत विवाद विहीन ग्राम श्यामपुरा के ग्रामीणजन के साथ ऑनलाईन माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुए ग्रामीणजन को योजना के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ विवादों के सुलह समझौता के आधार पर निराकरण किये जाने का आग्रह किया गया तथा ग्रामीणजन की समस्याओं के निराकरण करने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ग्रामीणजन का कोविड–19 टीकाकरण भी करवाया गया।

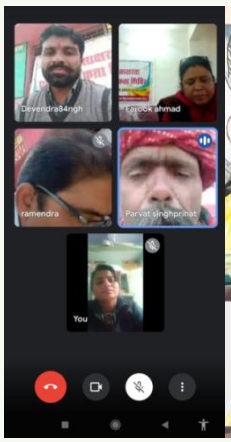

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2000

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 11.12.2021 को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमेटी द्वारा 06 प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें 04 प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कुल राशि रू. 6,00,000/– (अक्षरी छः लाख) व 01 हत्या के प्रकरण में राशि रू. 4,00,000/–(अक्षरी चार लाख), इस तरह कुल 05 प्रकरणों में कुल राशि रूपये 10,00,000/– (अक्षरी दस लाख) की राशि पीड़ितों को म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने हेतु आदेश–पत्र जारी किये गये तथा 01 प्रकरण को उपरोक्त कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर नस्तीबद्ध किया गया।

सफलता की कहानियां.....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा शिशु गृह शिवालय जिला शहडोल में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां निवासरत एक बच्चे की एक आंख खराब है एवं उसे काफी तकलीफ का सामना करना पड रहा था। उक्त जानकारी पर सचिव द्वारा शिशु गृह के सहयोग से बच्चे के उचित उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया, जिसके उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के प्रयास से बच्चे का सफल ऑपरेशन करवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

एजुकेशन लोन नहीं मिलने पर, निराश हुई, 02 छात्राओं द्वारा अपने कालेज प्राचार्या से सहायता चाही गई, प्राचार्या द्वारा दोनों छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दोनों छात्रओं द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर में अपनी सारी समस्याएं व्यक्त की गई, जिसके पश्चात् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंड़िया मक्सी को बुला कर चर्चा की गई। जिसके पश्चात् दोनो छात्राओं का शिक्षा ऋण स्वीकृत करवाया जाकर, छात्राओं के सपनों को पंख दिए और अपने हाथों से स्वीकृत ऋण आदेश छात्राओं को दिये।

पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना टीकाकरण में सहयोग

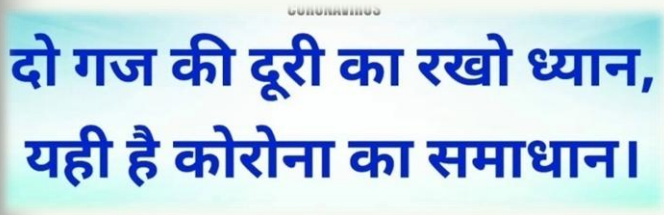

Empowering Women

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पुलिस विभाग, एन.जी.ओं. के समन्वय से महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाली लैगिक हिंसा की रोकथाम, सायबर अपराध, मानसिक स्वास्थ्य विषय, म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम एवं नालसा एसिड हमले से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना विषय पर शिविरों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

विधिक साक्षरता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
विधिक साक्षरता शिविर
विषय :- नालसा
दिनांक 06-12-2021
स्थान
सौजन्य से :-
shot on moto e7 plus
Nilesh

लघु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
MICRO LEGAL LITERACY AND AWARENESS CAMP
परिवार परामर्श केन्द्र राजगढ़

Legal Services to Children under NALSA Scheme

Organising Inspection, Camp & Workshop For Children

राष्ट्रीय एवं राज्य कार्य योजनान्तर्गत
विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर
का आयोजन
(कानूनी साक्षरता, हटाये दुर्बलता)

जानलेवा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं
और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015
NALSA (Child Friendly Legal Services To Children And Protection Scheme, 2015)
विषय पर

विधिक साक्षरता शिविर

"न्याय सबके लिए"
विधिक साक्षरता
एवं

विधिक साक्षरता शिविर

Legal Services to Senior Citizens under NALSA Scheme 2016

विधिक साक्षरता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मंदसौर (म.प्र.)

Yoga for Harmony & Peace
सामंजस्य एवं शान्ति के लिए योग

वरिष्ठ नागरिकों के लिए
विधिक साक्षरता शिविर
REDMI NOTE 5 PRO

उसे कल पर न छोड़ो
कौन जाने कल वक्त आए

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्तागण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

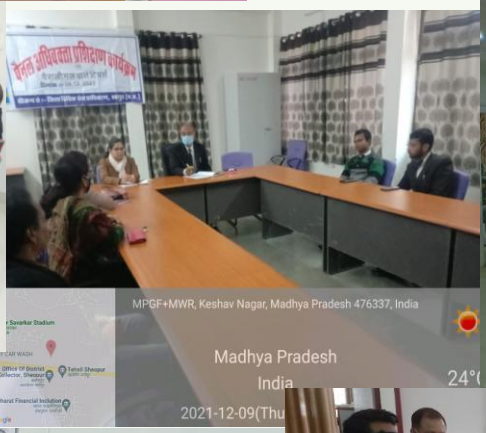

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर द्वारा पैनल अधिवक्तागण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

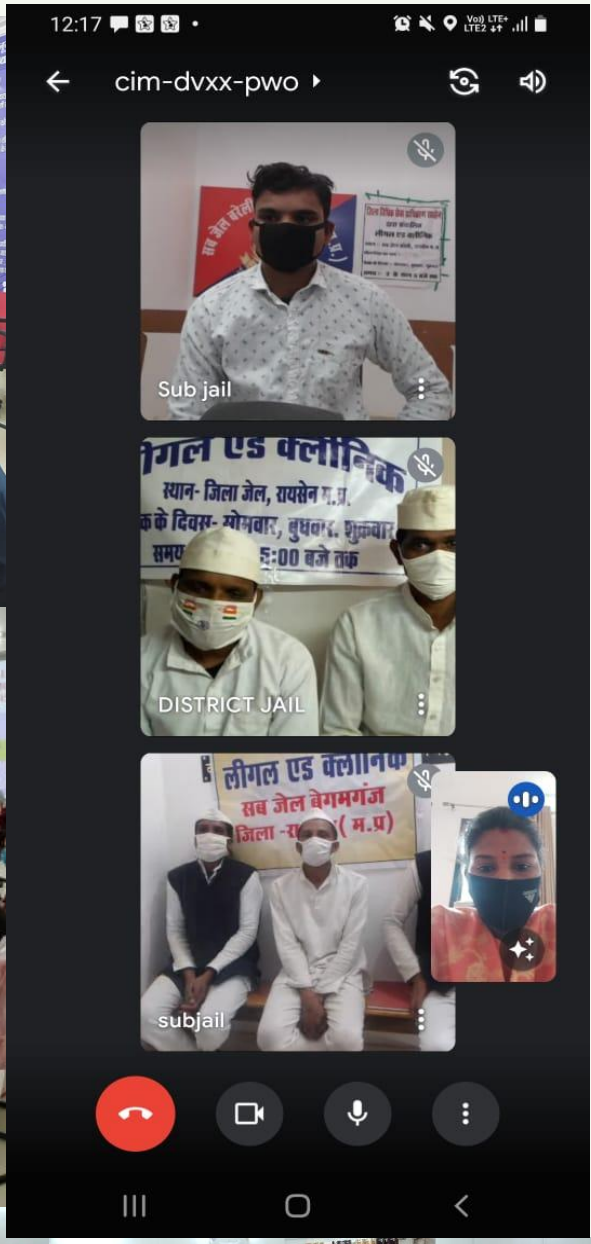

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों की झलकियां....

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता शिविर
GPS Map Camera
Seoni, Madhya Pradesh, India
3GHW+CPW, Adhunik Colony, Seoni, Madhya Pradesh 480661, India
Lat 22.07861°
Long 79.546774°
27/12/21 03:25 PM

2021.12.24 13:0

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों की झलकियां....

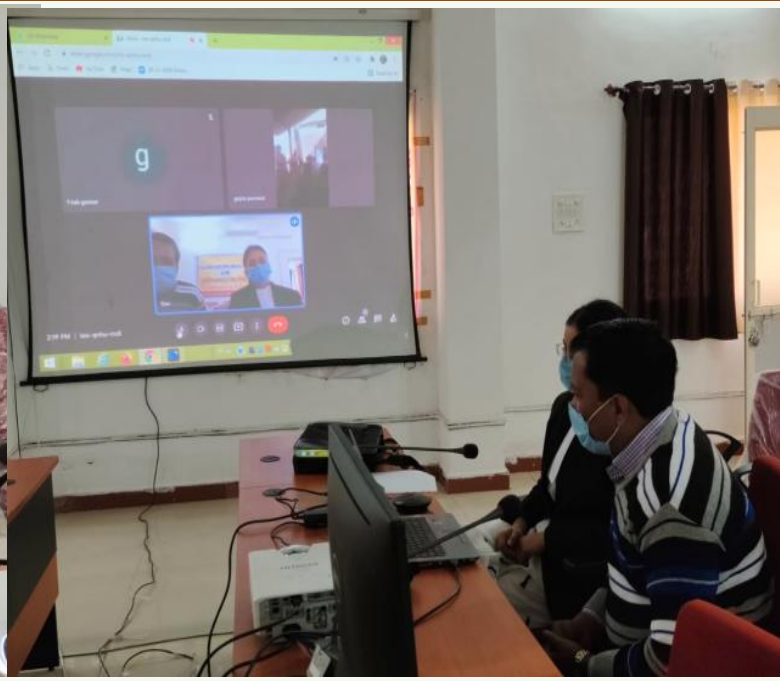

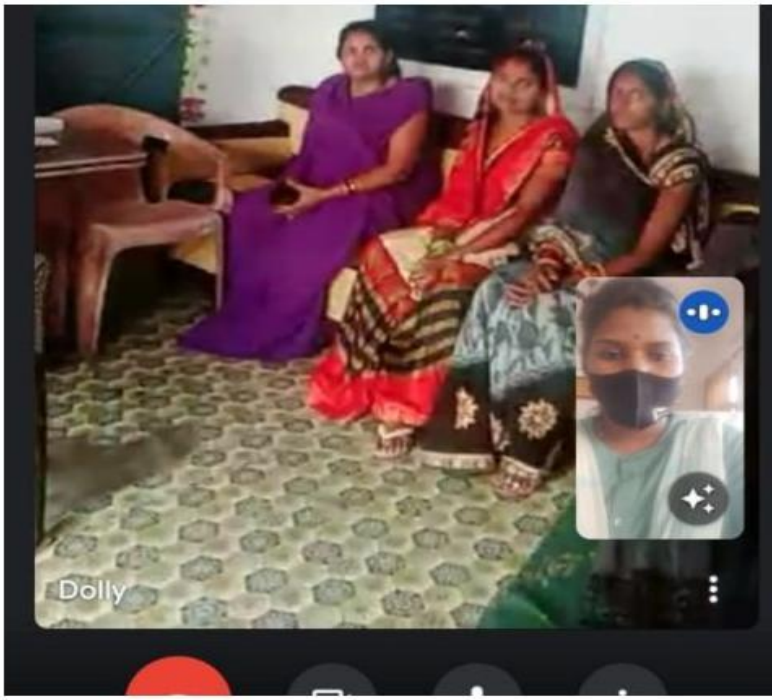

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
38	6	44

-----xxx-----

Media News....

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-12 | Page- 1
ehitavada.com

70,111 court cases, matters at pre-litigation stage disposed of in National *Lok Adalat*

■ Staff Reporter

NATIONAL *Lok Adalat* was organised successfully across Madhya Pradesh following the directions of National Legal Service Authority (NLSA), New Delhi and under the guidance of Justice Ravi Malimath, Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and Justice Sheel Nagu, Administrative Judge, MPHC and Executive Chairman, MP State Legal Service Authority (MPSLSA).

Nearly 70,111 matters related to court cases and a number of matters at the pre-litigation stage were disposed of during the National Lok Adalat, on Saturday. Special division benches were constituted for disposal of the cases at principal seat of the Madhya Pradesh High Court, Jabalpur, Indore and Gwalior benches along with all District Courts, Tehsil Courts, Labour and Family Courts in Madhya Pradesh.

Judges, senior office-bearers of MPSLSA along with litigants during the National *Lok Adalat*.

The cases presented during the National Lok Adalat were criminal compoundable cases, cases under section 138, MACT cases, labour dispute cases, marriage disputes, land acquisition cases, civil cases, revenue, electricity bills, water tax, sales tax, income tax, indirect tax, cases related to post retirement benefits, service cases which are related to post retirement calamity compensation, civil appeal, second appeal, petitions, MACT appeal before the High Court and other civil and public related disputes.

Senior office bearers of MPSLSA informed that nearly 3,21,866 cases were taken up at pre-litigation stage during the National *Lok Adalat*. Out of total,

(Contd on page 2)

70 हजार से अधिक प्रकरणों का किया गया निराकरण

नेशनल लोक अदालत में वर्षों के गिले-शिकवे चंद मिनटों में हुए

पीपुल्स समाचार ■ जबलपुर
editor@peoplessamachar.co.in

वर्षों से चले आ रहे गिले शिकवे चंद मिनटों में ही समाप्त हो गए। नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर दोनों पक्षों के बीच समझौते का दौर चला और देखते देखते दोपहर तक हजारों प्रकरण निराकृत हो गए। शाम 6 बजे तक उक्त आकड़ा 70 हजार को पार कर गया। जिसमें 2 आपराधिक, 32 करोड़ 92 लाख, 74 हजार से अधिक की अवार्ड राशि पारित की गई। उक्त नेशनल लोक अदालत में कुल 4 लाख 79 हजार 115 प्रकरणों को निराकृत कर उक्त अवार्ड राशि पारित की गई, देर रात तक उक्त संख्या बढ़ने की संभावना है।

प्राधिकरण के सचिव मदनलाल राजीव कमरे ने बताया कि शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आपसी समझौते के तहत 70 हजार 111 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। अभी पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें इजाफा होने की संभावना है। प्री-लिटिगेशन के निराकृत हुई 42100 प्रकरणों में 30 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का अवार्ड पारित किया गया है। नयायालय में लंबित 28 हजार से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया गया है। जिसमें 2 अरब 32 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में 32 करोड़ 92 लाख से अधिक राशि पारित किया गया है।

कर्मचारियों को मिली 1 करोड़ 16 लाख

हाईकोर्ट जबलपुर जिला न्यायालय जबलपुर की अध्यक्ष वरिष्ठ एवं नेशनल लोक अदालत पुरस्कृत प्रकरण का वंदन मिश्रा ने निराकरण किया था। सीधी जिला कर्मचारी के खिलाफ नेशनल लोक अदालत में 1 कर्मचारियों की बैठक बढ़ोतरी की जुड़ी जिसके खिलाफ याचिका कर्मचारी हाईकोर्ट में साल 2009 में याचिका प्रस्तुत हुई। समझौते के तहत 12 साल बाद प्रकरण का निराकरण हो गई हुए कर्मचारियों के पक्ष में 42 लाख का अवार्ड पारित किया। नयायमंत्री कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता संजय

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-11 | Page- 1
ehitavada.com

National Lok Adalat in all courts today

Member Secretary of MPSLSA, Rajiv Karmahe in a press conference on Friday.

Correspondent

ORDANCE with direc- National Legal Services y, New Delhi and under dance of Justice Ravi th, Chief Justice and n-Chief, MP State Legal Authority and Justice gu, Executive Chairman, ate Legal Services y, Jabalpur, National Lok is being organised on y in High Court Principal palpur and benches at and Indore, District Taluka Courts, Labour Family Courts and oth- s in the State," informed ber Secretary of MPSLSA, rmahe in a press con- on Friday. Nature of cases in various courts ced under National Lok scheduled on 11th ber 2021 are as follows :- l Compoundable Cases, 138 Negotiable Act, Bank recovery, MACT (Motor Accident Compensation Claim), Labour Dispute, Electricity and Water Tax/Bill related, Matrimonial, Land Acquisition, Service matters related to retirement benefits, Revenue (District only / Pending in the High Court), Civil, Pre-litigation, Bank Recovery related, Labour dispute etc.

In the National Lok Adalat scheduled to be held on 11th December 2021, more than 1350 benches have been constituted across the State and more than 1.85 Lac Pending and more than 3.50 Lac Pre-litigation cases have been referred for disposal.

The general public/litigating parties are requested by Member Secretary, MPSLSA Rajiv Karmahe to get the maximum benefit of the exemption under National Lok Adalat and participate in maximum number. Additional Secretary, Manoj Kumar Singh, Arvind Shrivastava also present in press conference.

Powered by iDocuments

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-12 | Page- 4
ehitavada.com

Tax issues resolved, over Rs 2.10 cr revenue added during *Lok Adalat*

■ National *Lok Adalat* was organised at JMC headquarters and all 16 divisional offices on Saturday and over 2,500 taxpayers took benefit of rebate in surcharge on municipal taxes

■ Staff Reporter

MORE than 2,500 taxpayers took benefit of rebate in surcharge on municipal taxes during the National *Lok Adalat* organised at Jabalpur Municipal Corporation (JMC) headquarters and all 16 divisional offices, on Saturday. Taxpayers got resolved tax related issues and deposited over Rs 2.10 crore as municipal tax in the treasury of the Municipal Corporation.

People thronged JMC headquarters and divisional offices to got redress tax related matters. From 10 am to 6 pm, people deposited municipal tax including property and water tax of over Rs 3 crore in the treasury of the JMC.

People making queue at a cash counter to deposit tax during the National *Lok Adalat* at JMC.

Senior officials visited various divisional offices and examined the arrangements made for redressal of tax related issues. They informed that people gathered at the headquarters and divisional offices in large number and got redressed their tax related issues. They deposited pending water and property tax.

Officials informed that the JMC provided huge rebate in surcharge during the National *Lok Adalat*. The given rebate was one-time and was given for tax up to year 2021. Taxpayers were allowed to deposit 50 per cent tax amount during the National Lok Adalat only while they would have to pay remaining 50 per cent in next installment. Likewise, a number of tax related disputes were also redressed amicably during the *National Lok Adalat*.

Powered by iDocuments

पीपुल्स समाचार
5 दिसंबर 2021

लोक अदालत जागरुकता रथ रवाना किया

पीपुल्स समाचार, भोपाल। 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के आपसी समझौते से निपटारे एवं मिलने वाली छूट की जानकारी देने के लिए जागरुकता रथ को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्राधिकरण के जिला सचिव एसपीएस बुंदेला सहित पुलिस, विद्युत कंपनी और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों की समीक्षा भी की।

नेशनल लोक अदालत: जिला अदालत व हाईकोर्ट में आयोजन

दुर्घटना में मृत की विधवा को 57 लाख मिले, टूटने से बचाए परिवार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सतना. जिला अदालत में गुरुवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कोर्ट ने दुर्घटना में मृत की विधवा को 57 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया, वह अपने बेटे सुनील के साथ मुआवजा राशि लेने पहुंचीं। नेशनल लोक अदालत में दीवानी मामलों के 11 एक करोड़ 15 लाख 600 रुपए का अवार्ड पारित कर

बीमा दावे के कई मामले निपटे

मुरैना में नवनाथ हवलदार मालगनी सिंह की मोहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी विधवा शांति देवी ने मामला दायर किया था, जो लोक अदालत में समझौते के लिए रखा गया। सुनील जिला न्यायालय अभिभाषक एन. कमार, मनीष राठौर, हुकमी चार्ज, सुनील जैन व अजय सिंह के समक्ष एसडीएमसी एवं जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से अधिवक्ता एके जैन और अशोक की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा, दिनेश चौधरी, दीपेश गुप्ता व प्रदीप परमार्थ बाबा ने पक्ष रखा। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता कमली निवेदित ने 57 लाख में समझौता कराया। मृतक के परिवार को 57 लाख रुपए मुआवजा राशि पर राजी हो गए। इसी कोर्ट में नीलमणिराम सिंह कम्पनी के कम्पनी में मृत्यु पर्यंत के तहत में 21 लाख 12 हजार रुपए की अवार्ड राशि के साथ समझौता कराया गया। मृतक के परिवार को 50 हजार रुपए देने की कम्पनी के अधिकारी सहमत नहीं होने के कारण मामला स्थगित कर दिया गया।

जिला अदालत में 3496 मामले निपटे

जिला अदालत जबलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत दीवानी 496 मामलों का निराकरण हुआ। इसमें दीवानी 46 करोड़ 51 लाख 43 हजार 174 रुपए का मुआवजा दिलाया हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष राठौर ने बताया कि इसमें 1341 मामले राजस्व मामलों के थे। इसमें 1341 मामलों में राजस्व के अधिकारियों ने मौजूदा 6 हजार 1 मामले जिला न्यायालय जबलपुर के समक्ष राजस्व दायर किए गए थे। 49 मामले पेंडिंग अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर ने 49 मामलों में समझौता कराया। इसमें 49 मामलों में 49 करोड़ 51 लाख 43 हजार 174 रुपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

बकरी चोरी मामला

पेंडिंग अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर ने 49 मामलों में राजस्व की समझौता कराया। इसमें 49 मामलों में 49 करोड़ 51 लाख 43 हजार 174 रुपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

49 दम्पती हुए एक

कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर के 49 मामलों में राजीनामा की कार्यवाही निष्पादित की गई। कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायालय विधि सचिव व प्रदीप राठौर की अध्यक्षता में राजीनामा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायालय विधि सचिव व प्रदीप राठौर की अध्यक्षता में राजीनामा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त प्रकरण निराकृत किए गए

कई लंबित मामलों का मौके पर ही किया गया निपटारा

लोक अदालत: मायूस तो कोई खुश लौटा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीहोर. न कोई हारा न कोई जीता की तर्ज पर शनिवार को जिलेभर में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें लंबित मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। जिन लोगों का मामले में निराकरण हुआ वह खुश नजर आए, लेकिन जिनका कुछ नहीं हुआ उनको मायूस लौटना पड़ा। सीहोर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरएन चंद ने मां सरस्वती और न्यायालय परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए किया। लोक अदालत में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाया थे। यहां लोगों ने पहुंचकर राशि जमा कर मौके पर ही मामले का निपटारा कराया।

इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अनिल कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार दांगी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश अशोक भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन, रीनी खान सेख, जगृति एस चंद्रिकापुरे, इकरा मिन्हाज, वैशियानी सहित अन्य मौजूद थे। नेशनल लोक अदालत में जिले में 26 खंडपीठ गठित की थी। खंडपीठ में 5 हजार 917 प्रकरण रखे गए थे। इनमें से 2132 प्रकरणों का निराकरण कर 19 करोड़ 88 लाख 15 हजार 752 समझौता राशि जमा कराई गई है।

सीहोर. डीजे लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए।

आष्टा. न्यायाधीश लोक अदालत का शुभारंभ पुष्प अर्पित कर करते।

लोक अदालत सहायक साबित हो रही

बुदनी. न्यायाधीश लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए।

बुदनी. स्थानीय सिविल न्यायालय बुदनी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में जिला न्यायाधीश मनीष लोवंशी के न्यायालय में 452 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ठाकुरप्रसाद मालवीय के न्यायालय में 243, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुणाल वर्मा के न्यायालय में 129 प्रकरण रखे गए थे। एडीजे न्यायालय में 12 प्रकरण व मजिस्ट्रेट न्यायालय में 19 प्रकरण का निराकरण किया गया। नगर परिषद बुदनी, रेस्टी, शाहगंज ने जलकर व संपत्ति कर के 354 में 45 का निराकरण कर 2 लाख 8237 रुपए का राजस्व वसूल किया। पी लिटिगेशन में 2210 प्रकरण बैंकों से रखे थे, जिनमें 46 प्रकरण निराकृत कर 56 लाख 73 हजार 900 रुपए की वसूली की गई। बिजली कंपनी के 71 में से 69 प्रकरण कर निराकरण कर चार लाख 51 हजार रुपए वसूले। लोक अदालत लंबित मामलों का एक ही बार में निपटारा करने के लिए सही साबित हो रही है। इस अवसर पर एसडीएम शैलेंद्र हिनोतिया, अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव, सीएमओ रामानुज मिश्रा, उप महाप्रबंधक बिजली कंपनी जीएस पटेल,सहायक प्रबंधक दिनेशसिंह भदौरिया मौजूद थे।

धन, समय की होती है बचत

आष्टा. प्रथम जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार व द्वितीय जिला न्यायाधीश कंचन सक्सेना ने कोर्ट परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ किया।न्यायाधीश चौबे ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से पंच के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही विवादों को सुलह और समझौते के आधार पर समाप्त करा देने की परंपरा चली आ रही है। लोक अदालत से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव उत्पन्न होता है व शत्रुता समाप्त होती है। यही समय,धन व श्रम की बचत होती है। लोक अदालत में प्रथम जिला न्यायाधीश एसके चौबे के न्यायालय में 200 विद्युत प्रकरण निराकरण के लिए रखे थे, जिनमें 105 का निराकरण कर 12 लाख 19 हजार 714 रुपए की राशि जमा हुई। मोटरयान अधिनियम व एनआइ एक्ट सहित अन्य प्रकरणों का निराकरण कर राशि जमा कराई। इसी तरह से अन्य प्रकरणों में भी समझौता कराकर राशि जमा करने के आदेश दिए। इस अवसर पर न्यायाधीश मनोज भाटी,सारिका भाटी, आयुषी गुप्ता, श्वेता सोनकर, शालिनी मिश्रा शुक्ला,डीइ इंदपाल नगैश,अधिवक्ता सुधीर पाठक, विजेंद्रसिंह ठाकुर,कृपालसिंह ठाकुर, निलेश शर्मा, सुरेंद्र परमार, प्रिंस अनुराग धारवां उपस्थित थे।

लोक अदालत में कई प्रकरणों में काफी कम रशि में समझौता हुआ

कोरोना सें मौत के बाद ससुर और देवर से संपत्ति में मांगा हक, 9 दिन में फैसला

पत्रिका कोर्ट न्यूज

3 करोड़ 83 लाख रुपए एवं एक मकान पर हक दिलाया

इमाकुआ @ पत्रिका. सात की आखिरी लोक अदालत में शनिवार को जिले की कुल 14 खंडपीठ में 1896 प्रकरण रखे थे। बांधनों में दो खंडपीठ एवं पेटलावद में तीन खंडपीठ बनाई गई थी। सबसे त्वरित फैसला सुमन कारा निवासी बांदना के पक्ष में हुआ। सुमन ने अपने पति आठीय कारा की कोरोना से मौत के बाद परिवार के सदस्यों के खिलाफफरियादि में अधिकार मांगा था। सुमन ने 2 दिसंबर को दावा लगाया था, 11 दिसंबर को फैसला सुमन के हक में हुआ।

दरअसल पति आठीय की मौत के बाद सुमन को पूरे कुटुंब की परवरिश की जिंता सता रही थी। जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैयूबल अब्बार की खंडपीठ में सुमन की ओर से पैरवी उमंग सक्सेना ने करते हुए 3 करोड़ 83 लाख रुपए एवं एक मकान पर हक दिलाया। बच्चे के भविष्य के लिए सुमन ने दो करोड़ की एफडी करने का मन बनाया है। समझौते के रूप में सुमन को एक न्याय दूसा भी दिया गया।सहकारिता संघ ने पारा के चार किसानों के ऋण बकाया मामले में समझौता किया। जिसमें वेस्त पिता नानबू जमरा ने 97438 के बदले 65000 जमा किए। श्रेय सिंह मोरी ने 34298 के बदले 170000 जमा किए। महेश चंद्र जैन ने 35737 के बदले 5000 जमा किए। तो वहीं धनी भाई मीणा ने 181145 बकाया राशि के बदले 88000 जमा कर समझौता किया।तीन भाइयों के बीच हुए जमीन विवाद का मामला लोक अदालत में पहुंचा, जहां एक भाई नागला मांडोर ने फरियाद की थी कि उसके दोनों भाई सोनवा और कालिया के बीच जमीन विवाद का हल निकाला जाए। एडवोकेट मुकेश बैरागी ने न्यायाधीश राजकुमार चौहान की खंडपीठ में दोनों भाइयों के बीच सुलह कराई।

सुमन कारा को न्याय दूसा देते प्रधान न्यायाधीश।

लोक अदालत में जमकर भीड़ उमड़ी।

न्यायाधीश के कहने पर मृतक की पत्नी को पांच लाख रु. दिए

2016 -17 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में कागलखो निवासी नानूराम बाई के पति तुलसी की मौत हो गई थी। कोर्ट में क्लेम लगाया। सूहल सिंह की गाड़ी का बीमा नहीं था। मौत के बाद विधवा विमलु दास शर्मा निवासी बीहार जिला पालवाय से श्रद्धाजलि पहुंचे और न्यायाधीश के कहने पर 5,00000 का डिग्री मृतक की पत्नी समुरा को दिया। सभी न्यायाधीशों ने विमलु दास शर्मा के इस फैसले की तारीफ की।

ई प्रकरणों में काफी कम राशि पर समझौता

सहकारिता का एक प्रकरण में मेघनगर नाका स्थित सुजाता ट्यायर्स के मालिक विजय नायर ने 2008 में 337000 रु. का लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर ब्याज और मूल धन बढ़ती हुए 1138208 रुपे तक पहुंच गया था। मामला लोक अदालत में न्यायाधीश राजकुमार चौहान की खंडपीठ में पहुंचा। सहकारिता विभाग ने 938208 रु. माफकर दो लाख रुपए में समझौता किया।

दैनिक भास्कर

नेशनल लोक अदालत: पक्षकारों को मिला त्वरित न्याय, खिल उठे चेहरे

70 हजार से अधिक मामलों का मौके पर हुआ निराकरण, दो अरब से अधिक का वितरित किया गया मुआवजा

कोर्ट रूम में पक्षकारों का बोल सुनते पीठासीन अधिकारी।

संवाददाता, जबलपुर. देश भर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित न्याय मिलने की पीढ़ियों के चेहरे खिल उठे। मध्यप्रदेश में भी हजारों लोगों ने पारस्पर सामंजस्यपूर्वक सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान का लाभ उठाया। समाचार लिखे जाने तक प्रदेश में 70 हजार से अधिक मामलों का निराकरण हुआ। साथ ही दो अरब से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्मी ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में 1391 खंडपीठ गठित की गई थी। इनमें प्रीलिटिगेशन वाले मुकदमा पूर्व राजीनामा के तीन लाख 21 हजार 866 मामले सुनवाई के लिए लगाए गए। जिनमें से 42 हजार 110 मामले निराकृत कर दिए गए। इसके जरिये 30 करोड़ 60 लाख 86 हजार 79 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

अहम मामलों का बोल बम: इसी तरह राज्य की विभिन्न अदालतों में त्वरित एक लाख 57 हजार 249 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। जिनमें से 28 हजार से अधिक मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से फैसले कर दिया गया। इस प्रक्रिया में दो अरब दो करोड़, 31 लाख 88 हजार 811 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

कर्रा चोरी का 13 साल पुराना विवाद निपटा: सुनील पिता स्व. जगदीश सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी विधवा शांति सिंह ने मामला दायर किया था, जो लोक अदालत में समझौते के लिए रखा गया। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से शांति सिंह को 75 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई। न्यायाधीश अभिलाषा एन नायर, मनीष ठाकुर, हुकमी चार्ज, सुनील जैन व अजय सिंह के समक्ष एसडीएमसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता एके जैन व अधिवक्ता नीरज शर्मा मौजूद व दिनेश चौधरी ने पक्ष रखा।

कस- 1

कस- 2 हाईकोर्ट में करीब 6 लाख पुराने मामले में लाख बीमाओं के एक करोड़ 8 लाख 600 हजार 265 रुपये का मुआवजा दिये जाने अंतिम पारित हुआ। यह मामला जबलपुर जिला कुटुम्ब सुलह व लाइसेंस अधिकारी कोलंबुस द्वारा की गुलाबचंद के सुना गया। पारिवारिक अदालतों की मुनिराज की ओर से अधिवक्ता रंजन दर्मन व हरिप्रसन एक्सपर्टस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता अनुज नायर ने पक्ष रखा। यह मामला पूर्व में अन्य न्यायालय, तौरी में दायर हुआ था, जहाँ से प्रतिवादी के हक में अवार्ड सुनाया गया था लेकिन कंपनी ने 2009 में हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी।

निगम के खाते में जमा हुआ 2 करोड़ 10 लाख का टैक्स

नगर निगम में आयोजित लोक अदालत में लगभग दाई हजार करदाताओं ने पहुँचकर 2.10 करोड़ का टैक्स जमा कराया। निगम मुख्यालय के साथ-साथ सभी 16 संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें करदाताओं को भारी राहत प्रदान करते हुए लंबे समय से लंबित राजस्व से संबंधित प्रकरणों का भी निपटारा किया गया। मामलों के निपटारे के लिए मुख्य से ही लंबी कतारें देखी गई।

26 दिसम्बर से शुरू हो

नवभारत टाइम्स
Sun, 12 December 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/64910227

वीडियो कॉलिंग पर सुलह: जज ने कहा- छोटी मोटी बातें घर पर ही निपटाना, कोर्ट नहीं आना, आज मामला खत्म कर देते हैं, ऑल द बेस्ट

पति-पत्नी में होता था झगड़ा, लोक अदालत में समझौता कर मामला खत्म कराया

भास्कर संवाददाता | देवास

जिला कोर्ट में शनिवार को लगी नेशनल लोक अदालत के कुटुम्ब न्यायालय में दो साल से पति-पत्नी के बीच में चल रहे प्रकरण का प्रधान न्यायाधीश मनिलासिंह ने मोबाइल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग का मामला खत्म कर दिया। दोनों से अभिलाषा बातें कर साथ-साथ में रहने के साथ ही किसी भी तरह की परेशानी आती है तो बिना केस लगाए कोर्ट में आने की बात कही। दरअसल देवास की रहने वाली पूजा मालवीय की शादी वर्ष 2016 में शिवकिया जिला हरदा के रहने वाले अंकुश पिता लक्ष्मीनारायण मालवीय से हुई थी।

वर्ष 2019 में छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़े होना शुरू हो गए तो पत्नी ससुराल से मायके आकर रहने लगी। पत्नी को अपने साथ में रखने के लिए पति ने देवास कुटुम्ब न्यायालय में अर्जी लगाई। अधिवक्ता मदन्य देवनगरायण कनासिया के अनुसार मामले में सुनवाई चलती रही और करीब 6 माह पहले देवास से पत्नी को पति कोर्ट की समझाइश के बाद अपने साथ हरदा ले गया। लेकिन पति के द्वारा पत्नी को साथ में रखने का केस चलता रहा। शनिवार को नेशनल लोक अदालत में पत्नी नहीं आई तो न्यायाधीश सिंह ने मोबाइल पर पहले अंकुश से चर्चा की उसके बाद वीडियो कॉलिंग पर पत्नी को भी जोड़ लिया गया। दोनों से चर्चा की तो किसी ने भी आपस में झगड़ा करने की बात नहीं करने पर न्यायाधीश ने केस खत्म करते हुए का अंतिम दे बेस्ट आज मामला खत्म कर देते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने दंपती से अभिलाषा की चर्चा।

पत्नी को भी जोड़ लें क्या वीडियो कॉलिंग पर

कुटुम्ब न्यायालय में पति-पत्नी का मामला आया तो पता चला कि दोनों हरदा में होने से देवास नहीं आ सकते हैं। इस पर जज ने दोनों को वीडियो कॉल पर जोड़ा। कहा, दोनों साथ में रह रहे हो तो पूजा को भी जोड़ लेते हैं। दोनों ने वीडियो कॉल में साथ रहने की बात करी।

वीडियो कॉलिंग पर यह हुई चर्चा

जज- दोनों साथ में रह रहे हो?
दंपती- हां रह रहे हैं।
जज- अब कोई दिक्कत तो नहीं?
दंपती- कोई परेशानी नहीं है।
जज- छोटी-मोटी बातों को घर में निपटाना है बाहर नहीं आना है।
दंपती- जी।
जज- आज मामला खत्म कर देते हैं, दोनों साथ में रहना, ऑल द बेस्ट?
दंपती- जी।

अदालत में 4 हजार 208 प्रकरणों का निराकरण कर 8 करोड़ 67 लाख 99 हजार 125 के अवॉर्ड पारित

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभातकुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में शनिवार को जिले के न्यायालयों में वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। कृष्णा परसे प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश ने इसका शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि गिरधर स्वामीनाथन जनरल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक भोपाल थे। मुख्यालय देवास, तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द व बागली में 30 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया। पारिवारिक मामलों में कुटुंब न्यायालय सहित अन्य खंडपीठों में जहां भी पति-पत्नी के मध्य मनमुटाव हुए होने पर राजीनामा हुआ, ऐसे 16 जोड़ों ने एक-दूसरे को माला पहना कर मुंह मीठा कराकर न्यायालय में भेजा गया। निर्णायक सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया, लोक अदालत में जिले में आपराधिक प्रकरण 206, चेक बाउन्स 129, फैमिली मेट्रर्स 18, विद्युत 253, विविध 105, श्रम के 13 प्रकरण, सिविल के 60, क्लेम के 110, भू-अर्जन का 1 एवं केस किसानों का 1 कुल 896 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें 6 करोड़ 30 लाख 99 हजार 7 रु. राशि अवार्ड की गई एवं 2149 लोग लाभांवित हुए। निराकृत 110 क्लेम प्रकरणों में राशि 2 करोड़ 27 लाख 47 हजार 124 के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए।

लोक अदालत में 2364 प्रकरणों का हुआ निराकरण

रीवा (नवबस्तेदार)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरसी वार्मपैन के जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में 43 खंडपीठों का गठन किया गया था जिसमें प्रीलिटिगेशन के 1586 प्रकरण एवं 778 लंबित प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस तरह कुल 2364 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में हुआ। शुभारंभ अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय वाचस्पति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनित कुमार त्यागियां, राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभारी एवं तृतीय जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, संजीव सिंघल द्वितीय जिला न्यायाधीश, राजेन्द्र शर्मा चतुर्थ जिला न्यायाधीश, नरेन्द्र कुमार गुप्ता नवम जिला न्यायाधीश, सुबोध कुमार विश्वकर्मा सप्तम जिला न्यायाधीश, उपेन्द्र रंगलाल तेवर्ती जिला न्यायाधीश, महाश्वेता जिला न्यायाधीश मुकेश चादव विवेकानंद त्रिवेदी पंचम जिला न्यायाधीश, आशीष तायकार मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मोहन कुमार कुके जिला दीवाणी, न्यायाधीश संदीप खंडे शांडल्य सिंह न्यायाधीश, तथागत सहारिका, न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रितिका शर्मा, सचिन साहू, श्वेता पटेले, कंचन चौकसे, रोशन खाडूए, पंचिनी सिंह, मनोरम तिवारी, ज्ञान सिंह, अजय कुमार नागेश एवं संजीव रांगेहाले, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अवधेश प्रताप सिंह, विधिक अधिकारी गगेन्द्र सिंह, तिवारी सिंह, सिद्धेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार सिंह, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर सुशील अवस्थी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पंडेकांत चतुर्वेदी, जीतेन्द्र कुमार भट्ट एवं अधिवक्ता नवाज उपस्थित रहे।

न्यायालयों में लंबित 411 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से हुआ निराकरण तथा 1351 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निरा

लोक अदालत पक्षकारों में एकता और भाईचारा बनाए रख

एक सशक्त माध्यम है : प्रधान जिला न्यायाधीश कालगवं

लोक अदालत में कुल 1 हजार 762 मामलों का समझौता के आधार पर निराकरण होकर कुल 2311 पक्षकार लाभान्वित हुए

खंडवा। शनिवार को खण्डवा जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय खण्डवा में प्रातः 10.30 बजे एडीजेएमएस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में माननीय संजीव एस कालगावकर साहब के कर कमलों से दीप प्रज्जवलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। न्यायालय परिसर में दिनभर में चारों लोक अदालत में विशिष्ट विषय, बैंक, नगर निगम, आदि के समझौते स्टॉलों पर पक्षकारों की राजीनामा के लिए चर्चा करने के लिए लंच उपस्थित रहे।

प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह कुशवाह के कुटुम्ब न्यायालय में लंबित प्रकरणों में मतभेद के चलते पृथक-पृथक निवासरत होकर उनका वैवाहिक जीवन तलाक की ओर अग्रसर हो चुका था। ऐसे मामलों में सुलह समझौते के चलते लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण कर दम्पतियों ने आपसी मिले-गिलवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव एस कालगवांकर द्वारा दम्पतियों को पौधे प्रदान कर रवाना किया।

15 वैवाहिक मामलों में हुआ निराकरण - जिला मुख्यालय खण्डवा में 15 वैवाहिक मामलों में पति-पत्नी को एक साथ मांथाता (ओंकारेश्वर) में भी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। खण्डवा जिले में न्यायालयों में लंबित 411 प्रकरण एवं 1351 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समाधान कर निराकरण होकर कुल 2311 पक्षकार लाभान्वित हुए खण्डवा खण्डपीठ व तहसील - 03 खण्डपीठ व तहसील में 02 खण्डपीठ गठित किये गये। जिसमें कुटुम्ब 15 वैवाहिक प्रकरणों में समझौता कराकर निराकरण किया गया।

न्यायालयों में लंबित 411 प्रकरणों का हुआ

जिला विधिक सेवाएं अधिकारीवरिष्ठ मण्डलीई न जानकारी दी कि आयोजित नेशल लोक अदालत में कुल 18 न्यायिक खण्डपीठ द्वारा लंबित 411 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ। एनपडसीसी के कुल 05 राजीनामा हुआ। प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंको के 62 प्रकरण में सन्त रूप में 22,43,000 राशि की वसूली हुई। इसी प्रकार से मोटर दुर्घटना 33 क्लेम प्रकरणों का निराकरण लोक्रम 1,59,66,000 राशि रूपये हुवे। विद्युत विभाग के न्यायालयों में लंबित 55 प्रकरण का निराकरण रूपये 887030 एवं 32 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में राशि 349000 में 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम मामलों का समझौता आधार पर निराकरण होकर कुल 2311 पक्षकार

नेशनल लोक अदालत • दहेज के दो प्रकरणों में हुई सुलह, बकाया बिजली बिल व टैक्स की रिकॉर्ड वसूली

पति ने कहा- न परिजन से फोन पर बात करने से रोकूंगा न कार्यक्रम में जाने से; मान गई पत्नी

भास्कर संवाददाता | सतेना

न पत्नी को उसके मायके वालों से फोन पर बात करने से रोकूंगा न ही किसी कार्यक्रम में जाने से रोकूंगा। इतना ही नहीं, अब से मैं भी उसके साथ हर कार्यक्रम में शामिल होने जाऊंगा। यही है जब वह कहूं वहां मैं चलूंगी भी लगभग दो साल बाद उसके साथ रहने रिश्ता हो गई है। यह राजीनामा शनिवार को जिला न्यायालय के कुटुंब न्यायालय में हुआ। नेशनल लोक अदालत में विशुद्ध सिविल, क्रिमिनल, बैंक, बीमा, पेंशन के लंबित अन्य मामलों में राजीनामा कराया गया। इसके साथ ही जिला न्यायालय में 411 प्रकरण एवं 1351 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से समाधान कर निराकरण किया गया। इसमें कुटुम्ब न्यायालय में 15 वैवाहिक प्रकरणों में समझौता कराकर निराकरण किया गया।

बिजली कंपनी ने की 78.73 लाख की रिकॉर्ड वसूली, नगर पालिका ने भी बकाया टैक्स के 16 लाख रुपए वसूले

बिजली बिलों में रिकॉर्ड वसूली उपभोक्ताओं को मिली 20-30 फीसदी की छूट

बिजली बिलों में रिकॉर्ड वसूली उपभोक्ताओं को मिली 20-30 फीसदी की छूट

बिजली बिलों में रिकॉर्ड वसूली उपभोक्ताओं को मिली 20-30 फीसदी की छूट

बिजली बिलों में रिकॉर्ड वसूली उपभोक्ताओं को मिली 20-30 फीसदी की छूट

चेक बाउंस समेत क्रिमिनल केस भी निराकृत

तीन साल पुराने दहेज प्रताड़ना के मामले में भी हुई सुलह, साथ गए पति-पत्नी

नया के 410 प्रकरणों में से 186 निपटे, 23 लाख के एवज में वसूले 16 लाख रुपए

विधि महाविद्यालय के छात्रों ने देखी नेशनल लोक अदालत कार्यप्रणली

भास्कर न्यूज़ | कटनी

आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत चड्डा कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान विधि के छात्रों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली और न्यायालय व लोक अदालत के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की थी। गत दिवस आयोजित नेशनल लोक अदालत में विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर्स सहित 50 छात्र-छात्राओं को नेशनल लोक अदालत की कार्यप्रणाली व लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभों को समझाया। प्रीलिटिगेशन मामलों के अंतर्गत विद्युत विभाग, बीएसएनएल एवं बैंकों से संबंधित स्टॉलों का विजिट कराते हुये नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों को रखने एवं निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को अलग-अलग ग्रुपों में में बांटकर न्यायालय के विभिन्न अनुभाग जैसे पुस्तकालय, कोर्ट रूम, कुटुम्ब न्यायालय, सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, कार्यालय अनुभाग, नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय कार्यालय अनुभाग, अभियोजन अनुभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विजिट कराते हुये विभिन्न अनुभागों में संपादित होने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान की। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विद्युत, एनआई एक्ट, आपराधिक सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरणों को आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत कराये जाने के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया।

एक परिवार को टूटने से बचाया पति-पत्नी में कराया समझौता

भास्कर संवाददाता | बेगमगंज

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे के न्यायालय में पति-पत्नी के बीच तलाक का पिछले 6 माह से विचाराधीन था, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिवहरे द्वारा दोनों की लगातार काउंसिलिंग करके आपस में दोनों के बीच समझौता कराते हुए प्रकरण समाप्त करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह पति-पत्नी फिर से साथ रहने को राजी हो गए। इस मौके पर अपर सत्र न्यायाधीश व तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष केएस शाक्य, अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह मीणा व व्यवहार न्यायाधीश स्वागिता श्रीवास्तव एवं सुश्री सृष्टि पटेल सहित दोनों पक्षों के अभिभाषक सीताराम शिल्पकार और संजीव कुमार सोनी एडवोकेट की मौजूदगी में पति-पत्नी ने एक दूसरे के गले में पुष्पमाला डलवाकर जीवन पर्यंत साथ रहने निर्णय लिया। खैरपुर निवासी राजेश कुमार अहिरवार की पत्नी रूपवती अहिरवार द्वारा अपने अधिवक्ता सीताराम शिल्पकार के माध्यम से अपने पति से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की थी। महिला का आरोप था कि उसका पति उसको प्रताड़ित करता है। उसके मायके पथरिया जिला सागर नहीं जाने देता और ना ही मायके पक्ष के लोगों से बात करने देता है। आए दिन हो रहे विवाद के कारण पति से तलाक दिलवाने की बात रखी थी। पति राजेश कुमार अहिरवार के अधिवक्ता संजीव कुमार सोनी एड्वोकेट उनकी ओर से पैरवी कर रहे थे। इनके दो पुत्र भी है। पिछले 6 माह से चल रहे विवाद का पटाक्षेप अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे के मानवीय पहलू एवं संवेदनशीलता ने टूटते हुए एक परिवार को दोनों के बीच आपसी समझौता कराकर बिखरने से बचा लिया।

दैनिक भास्कर
Bhaskar.com
Tue, 14 December 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/64974611

खंडपीठ ने सुनवाई कर पक्षकारों की रजामंदी से पाए मामले, 25 बिछड़े परिवारों को भी मिलाया

परिवारिक विवाद के 40 मामलों में सुनवाई कर 25 में कराया समझौता

सागर, रविवार, 12 दिसंबर, 2021 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 9- 2078

न्यायाधीश ने दी समझाइश तो 9 साल से अलग रह रही पत्नी कोर्ट में ही पति के पैर छुए, बोली- अब हमेशा रहेंगे साथ-साथ

नेशनल लोक अदालत में 1487 लोगों को मिला लाभ, कुल 813 प्रकरणों में एक करोड़ 47 लाख 32 हजार से अधिक की राशि के अवार्ड किए पारित

भास्कर संवाददाता | टीकमगढ़

जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जो मुख्यालय सहित निवाड़ी, जतारा एवं ओरछा न्यायालय में लगाई गई। जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्रा सिंह के मुख्य आतिथ्य में लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुधांशु सोलंकी, जिला प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह तोमर सहित कई न्यायाधीश शामिल हुए। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए 9 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया।

खण्डपीठों में न्यायालयों में लंबित विद्युत अधिनियम के 39 प्रकरण, आपराधिक रामनीय 20 प्रकरण, चैक बाउंस के 11 प्रकरण, क्लेम के 18 प्रकरण, वैवाहिक मामलों के 124 प्रकरण, सिविल के 16 प्रकरण तथा अन्य 8 प्रकरणों सहित कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं नगर पालिका के जतारा, समाधि सर, बैंक वसूली के कुल 577 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनमें जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह तोमर सहित कई न्यायधीश शामिल हुए। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के

पति के पैर छूकर पत्नी ने लिया आशीर्वाद

पति-पत्नी का झगड़ा कोर्ट पहुंचा, समझाइश पर माने

पहाड़ी शिवकार निवासी नोनू यादव का विवाह दीपक यादव निवासी महरौनी उत्तरप्रदेश से करीब 9 साल पहले हुआ था। दोनों दो साल ही साथ में रह पाए थे। दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद अलग-अलग रहने लगे। जिसका केस कुटुम्ब न्यायालय में चल रहा था। यहां पर दोनों को न्यायाधीश सोलंकी द्वारा घंटों समझाइश दी गई। जिस पर आखिरकार पति-पत्नी साथ में रहने के लिए तैयार हो गए। सभी के सामने दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और पत्नी ने पति के पैर छुए। जिस पर पति ने भी आशीर्वाद दिया।

10 साल बाद मिले मुस्लिम दंपती

मोहम्मद शकील एवं फातमीन बानो का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आने से दोनों एक-दूसरे से अलग रहने लगे थे। पिछले 10 साल से न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। जिसका निराकरण नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती इन्द्रा सिंह एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सुधांशु सोलंकी द्वारा दी गई। समझाइश पर दोनों साथ रहने को राजी हो गए।

813 प्रकरणों का हुआ निराकरण

नेशनल लोक अदालत में 81 प्रकरणों का निराकरण किया। जिसमें न्यायालयों में लंबित। 236 प्रकरणों के निराकरण में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ पालिका के जतारा, में कैन वसूली के 577 प्रकरणों का निराकरण। लगभग 15 हजार रुपए की वसूली की गई। इस प्रकार कुल प्रकरणों का निराकरण किया जिसमें। कोर्ट 47 लाख 3 के अवार्ड पारित किए गए।

www.starsamachar.com
भोपाल, सोमवार 13 दिसंबर 2021
स्टार समाचार

वर्ष की अंतिम जिला लोक अदालत का हुआ आयोजन, 24 खंड पीठों का किया गया गठन

500 लंबित प्रकरण व 2500 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का हुआ निराकरण

स्टार समाचार | रायसेन

शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के साथ उनके लेनदेन को लेकर शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों में आम नागरिकों की बहस के कारण लेन देन नहीं हो पाता है। या किन्हीं समस्याओं के कारण आम आदमी शासकीय कार्यालयों का नियम अनुसार पालन न करते हुए भुगतान करने में असमर्थ होता है और वही कार्यालय चाहे बैंक हो या राजस्व चाहे कई कार्यालय जाकर लगातार मुलाकात में हताश कर देते हैं जिससे आम नागरिकों को चुकाने में रकम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का प्रकरण है उससे विचार विमर्श कर न्यायालय की शरण लेकर उसका उसका भुगतान कर प्रकरण को हल किए जा रहे हैं। ऐसा ही अंतिम जिला लोक अदालत का कार्यक्रम विगत दिवस जिला मुख्यालय स्थित रायसेन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के स्टॉल लगाकर प्रकरणों को सुनवाई हेतु कार्यक्रम किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्रीमती संगीता यादव द्वारा जानकारी दी गई कि आज रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालय में वर्ष 2021 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लगभग 500 लंबित प्रकरणों और लगभग 2500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक अदाणी शुक्ला ने बताया भारतीय स्टेट बैंक सागर रोड रायसेन के 1 प्रिलिटिगेशन में पक्षकार पर राशि रुपए 2 लाख 65 हजार का लोन बकाया था। पक्षकार को बकाया राशि पर छूट का लाभ दिया जाकर दोनों पक्षों में राशी रुपए 165000 पर राजीनामा किया गया।

एक करोड़ 84 लाख रुपए की समझौता राशि प्राप्त

स्टार समाचार | गंजबासौदा

न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसमें न्यायालय के द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती नीलम मिश्रा एवं उपस्थित सभी न्यायधीशों ने महात्मा गांधी और सरस्वती मां को पुष्प अर्पित कर लोक अदालत की कार्यवाही का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष डॉ अखिलेश लाहौरी सहित अभिभाषक गण, कर्मचारी गण, पक्षकार गण मौजूद रहे। विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती नीलम मिश्रा ने बताया कि अदालत में विभिन्न विभागों के एक करोड़ 84 लाख 20 हजार 708 रुपये की समझौता राशि प्राप्त हुई। वहीं 960 लोगों को इससे लाभान्वित हुए। लोक अदालत में बैंक, विद्युत मंडल, नगर पालिका और न्यायालय के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें प्रीलिटिगेशन के 2634 प्रकाद रखे गए थे जिनमें से 28 प्रकरणों का निराकरण हुआ। जिसमें 19 लाख 76 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई। वहीं विद्युत संबंधी लंबित प्रकरणों में 1642 प्रकरणों को अदालत में रखा गया जिनमें से 114 प्रकरण का निराकरण हुआ। जिसमें 7 लाख 45 हजार की राशि प्राप्त हुई। नगर पालिका की राजस्व शाखा का बकाया राजस्व वसूली के लिए पिछले कई दिनों से लोग को नोटिस दिए जा रहे थे। जिनका लोक अदालत में निराकरण किया गया।

Mon, 13 December 2021
...samachar.epapr.in/c/64928723

जिला जज रेणुका ने लोक अदालत का किया शुभारंभ

पीपुल्स संवाददाता • दमोह
मो.नं. 7974091940

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रिसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन ने शनिवार को विधिक सेवा भवन में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बीपी पांडे, प्रभारी नेशनल लोक अदालत विशेष न्यायाधीय संचय चतुर्वेदी, जिला न्यायाधीश एवं सचिव लोक अदालत नीरज शर्मा, सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगणों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। प्रिसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन ने कहा लोक अदालत में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, नालसा और सालसा के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसमें पिछले दो बार से दमोह का प्रदेश में नंबर वन स्थान रहा है।

...निवार को जिले में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों पर हुई सुनवाई

...न किसी की जीत न किसी की हार, यही है लोक अदालत का सार

...न्यायाधीश की समझाइश पर साथ-साथ रहने को राजी हुए

...सालों से अलग रह रहे पति-पत्नी को लोक अदालत ने मिलाया

भूमि न्यूज़ ▶▶ सिलवानी

...परिसर में शनिवार ...क अदालत का ...न किया गया। ...म का शुभारंभ ...ीश अतुल यादव ने दीप ...त कर किया। यहां पर ...5 सालों से अलग-...रह रहे पति पत्नि को ...य रहने को राजी कर ...ुशी विदा किया।

निवासी विनीता बाई अहिरवार ...मान सिंह अहिरवार के साथ हुआ ...दोनों के बीच आपसी विवाद के

लोक अदालत में हुआ प्रकरणों का निराकरण

की समझाईश पर सालों से अलग रह रहे पति पत्नि साथ साथ रहने को राजी हो गए। यहां पर दोनो ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई। दोनों को न्यायालय से खुशी-खुशी विदा किया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में बैंको स्टॉल लगे हुए थे।

आपसी समझौते से सुलझे मामले

जहां पर की पक्षकारों के द्वारा आपसी आधार पर समझौते किए गए। यहां पर वीर सिंह कांकुल, अधिवक्ता एसके जैन,सुनील श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, दीपेन्द्र समैया,

लोक अदालतें प्रकरणों के निराकरण को सबसे सुलभ और सस्तो साधन

- 48 खण्डपीठों द्वारा निराकृत करे गए 2282 मामले
- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि 3,88,58,500 रुपए पीड़ित पक्षकारों को दी गई

नया और शिकायतकर्ता के बीच भव राजीनामा

लोक प्रशासनिक अधिकारियों के सुनिर्देश पर जिला न्यायालय सागर में लोक अदालत के माध्यम से 1487 प्रकरण जो कि लंबित थे उन प्रकरणों में से 813 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें मोटर दुर्घटना के 143 प्रकरणों का निराकरण कर क्षतिपूर्ति राशि रुपए 3,88,58,500/- अंकरूप- तीन करोड़ अठ्ठासी लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ रुपए के अवार्ड पारित किए गए, चैक बाउंस के 266 प्रकरणों के निराकरण में कुल राशि रुपए 7,28,21,996/- अंकरूप सात करोड़ अट्ठाईस लाख इक्कीस हजार नौ सौ छियानवे रुपए परिवादी एवं प्रति प्रकरण किया गया। आपराधिक प्रकृति के समर्थन 160 प्रकरण, विद्युत के 67 प्रकरण, वाहनियम विवाद के 120 प्रकरण तथा पारिवारिक विवाद के 120 प्रकरण तथा अन्य 482 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कर इस अवसर पर कुल जिला पति रुपए 1,68,50,586/- अंकरूप एक करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार पांच सौ छियासठ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आपसी राजीनामा के माध्यम से प्रकरण निराकरण होने से खर्चों की बचत होती है। साथ ही न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है। यह विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।

पति-पत्नि के बीच भई सुलह

आपसी सहमति से निपटो केस बाउंस को मामला

लोक अदालतों से लाभान्वित हो रहे लोग

मनमुटाव दूर कर साथ रहने को हुए राजी

अलवर खान,धार। शनिवार 11 दिसम्बर को जिला मुख्यालय धार एवं तहसील के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत आयोजन किया गया जिला न्यायालय में माननीय प्रधान न्यायाधीश श्रीमान अखिलेश जोशी, नोडल अधिकारी अशोक कुमार शर्मा व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस विनीता एवं धार न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दीप प्रज्जलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। प्रधान न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित ,पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को सस्ता सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना है धार आदिवासी बाहुल्य जिला है यहां के गरीब लोगों को शीघ्र सुलभ न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का दायित्व है और न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित पड़े प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से आपसी राजीनामा करवा कर प्रकरणों का निराकरण करवाना है जिससे आम लोगो के धन और समय की बचत होती है, नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दाण्डिक एवं सिविल राजीनामा योग्य 732 मामलों का निराकरण किया गया जिसमें 27 व्यक्ति लाभान्वित हुए व ग्यारह करोड़ एक लाख दो हजार से अधिक राशि का अवार्ड पारित किये गए साथ ही प्रिलिटिगेशन के कुल तेरह हजार एक सो तीन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए जिसमें कुल 3649 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर एक करोड़ पच्चीस लाख तेंइस हजार से अधिक राशि का अवार्ड पारित हुआ 4500 वयस्कि लाभान्वित हुए। तथा

जिला न्यायालय में 5 प्रकरण काफी समय से लम्बित थे जिसमें आपसी मन- मुटाव घरेलू हिंसा भरण-तलाक आदि के प्रकरण न्यायालय में लंबित थे जिसके लिए उन्हें हर महीने दो से तीन बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे दिन भर कोर्ट परिसर बैठने पड़ता था बार बार कोर्ट में आने के कारण उनका काम-धंधे पर भी बुरा असर पड़ रहा था और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। आपसी मन -मुटाव के कारण कुंदन निवासी बड़ादवा विगत तीन साल से अपनी पत्नी और बच्चे से अलग रह रहे आज नेशनल लोक अदालत में उनके सुलहकर्ता के सदस्य उनके अभिभाषक व पीठासीन अधिकारी माननीय के जी सुरेका द्वारा बारी बारी से पति-पत्नी से चर्चा की गई आपसी मन-मुटाव का शंका-कुशंका का समाधान किया गया जिस पर दोनों राजी खुशी साथ रहने को तैयार हो गए।

और खुशी- खुशी पति -पत्नी अपने छोटे से

कसरावद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

कसरावद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसंबर को कसरावद न्यायालय में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कसरावद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विवेक जैन द्वारा कसरावद न्यायालय परिसर में दीप प्रज्जलित कर नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित मामलों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, ए बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटनाएं दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरणए भू- अंजैक न प्रकरण, एवं जल करब्बिल संबंधी प्रकरण, दिवानी प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन मुकदमा पूर्व मामलों का निराकरण कराया गया

50 मामले में कुल 12लाख 26 हजार 740 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ बीएसएनएल विभाग के लालचंद कोचे ने बताया कि 20 प्रकरणों का निपटारा किया गया आरोपी वही धर्मेंद्र पिता मोतीराम गवली के विरुद्ध उसकी पत्नी कविता के द्वारा मारपीट की रिपोर्ट की गयी थी जिस पर से पुलिस कसरावद के द्वारा आरोपी पति धर्मेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 294 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मामला कसरावद न्यायालय में पेश किया आज दिनांक 11।11।2021 को न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायाधीश श्री विवेक जैन एवं आरोपी के अधिवक्ता अरविन्द पाटीदार के प्रयास से दोनों पति पत्नी का समझौता करवा कर प्रकरण को समाप्त किया गया तथा उनके हाथों में एक पौधा देखकर घर भेजा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विवेक जैन के साथ न्यायाधीश राकेशभोई सहायक लोक अभियोजन अधिकारी हरि सिंह पागदर एडवोकेट अश्विन जोशी अरविंद पाटीदार सचिव बार एसोसिएशन इमरान खान एडवोकेट नवीन जोशी एडवोकेट सचिन बाथम नगर परिषद सीएमओ संजय रावल सभी विभाग एवं न्यायालय कर्मचारी भी मौजूद रहे इस अवसर पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कसरावद न्यायाधीश श्री विवेक जैन ने कहा । नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने से खर्चों की बचत होती है। साथ ही न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है।

सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है

धार (संजय शर्मा दैनिक हैलो डे)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सरफ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर में पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के मध्य मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष शुक्ल, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पाटीदार, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री पुनुस पटेल, सचिव श्री विनोद काले अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के साथ-साथ पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के साथ पक्षकारगण एवं कार्यालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त शिविर में श्री आशुतोष शुक्ल द्वारा उपस्थित पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को मध्यस्थता के लाभ एवं मध्यस्थता प्रक्रियां की उपयोगिता से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में दोनों ही पक्षों की जीत होती है। द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पाटीदार द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम जटिल से जटिल मामले निराकरण मामले के दोनों पक्ष समझाईस के माध्यम से जाता है।

शिविर उपरांत दिनांक दिसम्बर, 2021 को आयोजित वाली नेशनल लोक अदालत संबंध में प्रिसिटिंग बैठक आयोजन किया गया। बैठ उपस्थित पैनल अधिवक्ता पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को बताया गया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रिलिटिगेशन समस्त प्रकार के समझौता मामले रखे जावेंगे। प्रिलिटिगेशन मामलों जानकार, समस्ति कर के प्रकरणों में विशेष प्रावधान रखा गया है। पैनल अधिवक्ता पैरालीगल वॉलेन्टियर्स से नेशनल लोक 3 से अधिक से अधिक समझौता योग्य मामा निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान कर आमजन को जागरूक करने की अपेक्षा की

हांगीराबाद भोपाल म.प्र. से मुक्ति एवं 41, गली नं.1 एलम्ब वली कॉलोनी ऐबाग स्टेडियम भोपाल म.प्र462004 से कार्यालय - एफ 17 राधा कृष्णा काम्प्लेक्स एम पी नगर जोन-2 भोपाल मध्यप्रदेश

मध्यस्थता जागरूकता शिविर एवं नेशनल लोक अदालत प्रिसिटिंग बैठक

प्रकरणों का निराकरण, विवाह व चेक बाउंस के मामले सुलझे

नेशनल लोक अदालत: सिविल न्यायालय में राजीनामे से सुलझे प्रकरण

भास्कर संवाददाता | नेशनगर

स्थानीय सिविल न्यायालय में एक दिनी नेशनल लोक अदालत लगी। कुल 27 प्रकरणों का निराकरण किया। इसमें विवाह संबंधी 15, चेक बाउंस 05 और आपराधिक मामले 7 रहे। 70 लोगों को फायदा हुआ और 14.50 लाख की राशि दिलवाई। इसमें सबसे बड़ा मामला 3.50 लाख रु. का था।

न्यायाधीश डॉ. गौरव गर्ग ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। दीप प्रज्वलित की। न्यायाधीश डॉ. गौरव गर्ग, खंडपीठ सदस्य अधिवक्ता विजय जवादे, एलएलए लोवंशी के समक्ष राजीनामे योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। डॉ. गर्ग ने बताया- हर तीन महीने में लगने वाली लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इसमें चेक बाउंस, विवाह संबंधी विवाद, फोल्ड हिंसा, भरण पोषण, चोरी, राजिद्री तथा आपराधिक मामले में पक्षकारों को समझाइश देकर राजीनामे कराए।

नेपा. 06 चर्चा करते हुए न्यायाधीश डॉ गौरव गर्ग।

इधर... 81 प्रकरणों का हुआ निराकरण

नेपानगर। नगर पालिका कार्यालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगी। दिनभर में 81 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सीएमओ राजेश मिश्रा ने बताया- लोक अदालत में संपत्तिकर, जल कर सहित अन्य प्रकार के करों की कुल 1.39 हजार 713 रुपए की वसूली की गई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान भी मौजूद थे। लोक अदालत से पहले कार्यालयों को पत्र सूचना पत्र जारी किए गए थे।

परिवार व समाज की समरसता और एकता में लोक अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण है : एडीजे यादव

नेशनल लोक अदालत : तीन खंडपीठों में करीब 87 प्रकरणों का हुआ निराकरण

बैंक, बिजली कंपनी व नप के स्टाल पर लोगों ने जमा की बकाया राशि

भास्कर संवाददाता | बागली

परिवार एवं समाज की समरसता और एकता में लोक अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह बातें बागली न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर द्वितीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव ने कही। एडीजे यादव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 सुनयना श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 विवेकसिंह राजन, अभिभाषक संघ अध्यक्ष मुकेश गुर्जर, वरिष्ठ अभिभाषक राजेंद्र इनानी, सुर्यप्रकाश गुप्ता एवं महेंद्र पाटीदार ने मां सरस्वती एवं गांधीजी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरुआत की। इस अवसर पर पोटला के एक दंपती के बीच आपसी सुलह हुई और तीन वर्षों से जुदा रह रहे पति-पत्नी बच्चों के खातिर एक हुए।

बागली. नेशनल लोक अदालत में दंपती को पौधे भेंट करते हुए न्यायाधीश।

न्यायाधीश एवं अधिवक्ता कुणाल चौधरी, रवि जाटव के प्रयासों से यह राजीनामा सार्थक हुआ। एडीजे यादव के न्यायालय में 36 प्रकरण, न्यायाधीश श्रीवास्तव के न्यायालय में 19 एवं न्यायाधीश राजन के न्यायालय में 32 प्रकरणों का निराकरण हुआ। बैंक, बिजली कंपनी, नगर परिषद से संबंधित स्टालों पर सुबह से ही भीड़ उमड़ी और उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा की। इस अवसर पर अधिवक्ता गोपाल सोनी, संदीप यादव, गगन शिवहरे, कमल मस्त, कपिल यादव, प्रभु डोडवे, संतोष यादव, गो सैयब, गोविंद यादव, राजकुमार पाटीदार, पि पाटीदार आदि उपस्थित थे। थाना प्रभारी य यादव, सीएमओ मुरली राठौर भी मौजूद थे।

1351 प्रकरणों का निराकरण, 6 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, 30 वाहनों में लिटी प्रकरण

भास्कर न्यूज | मंदसौर

सर्वोच्च को नेशनल लोक अदालत में 1351 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों के निराकरण के अवार्ड कुल 6 करोड़ 42 लाख 371 रुपए की अवार्ड राशि पारित हुई। प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश राजराजन व रेवुकुंडा अनंतराम कुल 30 अवार्डों का पाल किया गया। विभिन्न न्यायालयों में विभिन्नीकरण के कुल 344 प्रकरणों को निराकरण के लिए प्रकरणों में से 30 वैकेंस कुल 33.10 प्रकरणों में से 283 प्रकरणों का पीठ न्यायाधीशों द्वारा पक्षकारों के आपसी राजीनामे एवं सहमति से निराकरण किया गया।

मुख्य न्यायाधिपति मंच उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के सचिव श्री अभिषेक सिंह राजपूत एवं अन्य समस्त न्यायाधीशगण, वरि अभिभाषकगण, अभिभाषकगण, सचिव राज्य कर्मी, अभिभाषकों के साथ ही विधुत, जेल, न्यायालीय एवं अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सहायता योजनों की प्रीमियम राशि जिला जज एवं जिला न्यायाधीश द्वारा वितरण किया गया। जिला जज एवं जिला न्यायाधीश द्वारा उपस्थित अधिवक्ता गण, अधिकारी कर्मचारी, पक्षकारों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। जिला जज एवं जिला न्यायाधीश द्वारा उपस्थित अधिवक्ता गणों को प्रीमियम का वितरण करते हुए उपस्थित जिला न्यायाधीश श्री शर्मा व एडीजे भवन में पुष्पार्पण किया। इस अवसर पर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, विधिक न्यायालीय शिविर जिला जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक विजय श्रीवास्तव, एडीएम मनीष सिंह ठाकुर, जिला न्यायालीय सहायक विधि सहायक, सचिव राज्य शर्मा, अभिभाषकों, अधिवक्ताओं के साथ ही विद्युत, जेल, न्यायालीय एवं अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला जज एवं नेशनल लोक अदालत के उपस्थित सब की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने लोक अदालत में मंदिरित प्रोटेक्शन का महत्व बताते हुए पत्नी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं को पक्षकारों को लोक अदालत में मंदिरित प्रोटेक्शन का महत्व बताते हुए पत्नी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं को पक्षकारों को लोक अदालत में मंदिरित प्रोटेक्शन का महत्व बताते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा व

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-03 | Page- 2
ehitavada.com

MPSLSA holds awareness, health camp for transgenders

MPSLSA officials & representatives of transgender community during programme on World AIDS Day.

■ Staff Reporter

THE Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) organised an awareness and health check-up camp for the transgender community under the guidance of Chief Justice and Patron-in-Chief, MPSLSA, Ravi Malimath and Administrative Judge, MP High Court and Executive Chairman, MPSLSA, Shael Nagu on World AIDS Day, on Wednesday.

Short video films related to AIDS disease were also screened on the occasion. Transgender community was made aware of the prevention of AIDS and also their health check-up was done.

Speaking on the occasion, Member Secretary, Rajiv Karmahe said that all possible efforts would be made to solve the problems of transgender community and to avail the benefits of beneficial schemes related to them by establishing necessary coordination with the concerned departments and also efforts are necessary to bring the transgender community in mainstream of the society.

Further, Information was given to organize awareness and sensitization programs across the State from time to time in future to increase transgender community's acceptance among the general public.

In the sequence, Chief Health and Medical Officer, Ratnesh Kuraria gave detailed information regarding the side effects of AIDS and its consequences. Dr. Dheeraj Dwivedi, District AIDS Control gave information about schemes related to HIV. Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officer gave information regarding provisions of AIDS (Prevention and Control Act 2017). Abdul Rahim, Kashish Chauhan and Brijmohan all members of transgender community appreciated about the experiences of the transgender community and the difficulties faced by them in daily life. Atish Srivastava, Programme Officer gave information about the prevention, treatment and measures of AIDS.

The programme was conducted by Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and detailed information was given about the landmark Judgments regarding the community and various social and other aspects related to them.

Those also present were Arvind Shrivastava, Zeeshan Khan, Manisha Patel and members of transgender community.

Powered by iDocuments

जबलपुर, गुरुवार 02 दिसम्बर 2021 देशबन्धु
5

ट्रांसजेण्डर को मुख्य धारा में लाने प्रदेश स्तर पर जागरूकता के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम भी होंगे : राजीव कर्महे

विश्व एड्स दिवस पर ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये जागरुकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

लघु वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन के साथ दी गई बचाव की जानकारी

जबलपुर, देशबन्धु। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के न्यायमूर्ति रवि मालिमथ, मुख्य न्यायाधीशीय एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा न्यायमूर्ति शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस 1 दिसम्बर 2021 के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। उक्त जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को एड्स से रोकथाम एवं बचाव हेतु जागरूक किये जाने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर सदस्य सचिव राजीव कर्महे द्वारा कहा गया कि- ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं एवं इससे संबंधित लाभकारी योजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निराकरण करने का पयत्नांकय प्रयास किया जावेगा। साथ ही उक्त समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने एवं आमजन में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भविष्य में समय-समय पर पूर्व प्रदेश में जागरूक किये जाने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर सदस्य सचिव राजीव कर्महे द्वारा कहा गया कि- ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं एवं इससे संबंधित लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा एक्सआई एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017) के प्रावधानों से अवगत कराया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय से अब्दुल रहीम, कशिश चौहान, बृजमोहन की मौजूदगी रही। अनुभव तथा दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों से अवगत कराया गया। अतीश श्रीवास्तव, प्रोग्राम ऑफिसर एचआईवी एड्स द्वारा एड्स रोग से बचाव, उपचार तथा उपायों की जानकारी दी गई। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित उक्त कार्यक्रम में राजीव कर्महे सदस्य सचिव, मनोज कुमार सिंह अतिरिक्त सचिव, अरविंद श्रीवास्तव उपसचिव, रत्नेश कुरारिया, सीएमएचओ, डॉ धीरज दवंडे डीएनओ एड्स कंट्रोल जीशान खान एवं जीतेन्द्र मोहन धुर्वे-जिला विधिक सहायता अधिकारी, अतीश श्रीवास्तव प्रोग्राम ऑफिसर एचआईवी एड्स मनीष पटेल प्रोग्राम मैनेजर आगुति दुबा मंच समिति, एनजीओ उपस्थित रहे।

फिल्म से ट्रांसजेंडर्स को किया जागरूक

विश्व एड्स दिवस पर आयोजन

जबलपुर| मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में ट्रांसजेंडर्स के लिए बुधवार को जागरुकता व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया। इस दौरान एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को जागरूक किया गया। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया, राजीव कर्महे, डॉ. धीरज दवंडे, जितेंद्र मोहन धुर्वे ने आवश्यक जानकारी दी। ट्रांसजेंडर समुदाय से अब्दुल रहीम, कशिश चौहान, बृजमोहन की मौजूदगी रही।

काली पट्टी बाँधकर जताया विरोध- देश में एचआईवही/एड्स की रोकथाम में कार्यरत स्टाफ का वेतन पुनरीक्षण वर्ष 2017 से नहीं हुआ है। जल्द से जल्द पुनरीक्षण की माँग को लेकर मप्र एड्स कंट्रोल एम्प्लॉई यूनियन के बैनर तले एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लैब टेक्नीशियन्स ने बुधवार को एड्स दिवस पर काली पट्टी बाँधकर विरोध जताया। लैब टेक्नीशियन्स सामूहिक अवकाश पर रहे।

Thu, 02 December 2021
दैनिक भास्कर DainikBhaskar.com
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/64703183

नुक्कड़ नाटक से दिया एड्स से बचाव का संदेश

जागरण, सीहोर। विश्व एड्स दिवस पर जिला चिकित्सालय में जनजागरूकता रैली आयोजित की गई। जनजागरूकता रैली को अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

एड्स जनजागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन करते हुए रैली मुख्य मार्ग होते हुए कोतवाली चैराहा पहुंची। कोतवाली चैराहे पर एड्स जनजागरूकता पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रैली का समापन किया गया। इस रैली के माध्यम से एड्स से बचाव का संदेश दिया गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने एड्स बचाव के संदेश के साथ कोतवाली चैराहा पर नुक्कड़ नाटक की उत्कृष्ट प्रस्तुती दी। नुक्कड़ नाटक में बताया कि एड्स से बचाव के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी है। इसके साथ ही जांच एवं उपचार के संबंध में

भी जानकारी दी।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ. जेडी कोरी सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार मांझी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 के प्राचार्य रवीन्द्र कुमार बांगरे ने भी छात्र-छात्राओं तथा उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए एड्स से बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा अधिकारी अनीस अब्बासी और एनएसएस के कैडेट उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग ने एड्स दिवस पर निकाली जागरुकता रैली, हुई स्पर्धाएं

देवास. स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व एड्स दिवस पर बुधवार को जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक स्तर पर गतिविधि एवं कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिला चिकित्सालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास निहारिका सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश देवास विष्णु कुमार सोनी एवं सीएमएचओ डॉ.एम.पी. शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर, नर्सिंग कॉलेज में रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान, रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का निरीक्षण किया। प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान किये। रंगोली प्रतियोगिता में बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने भाग लिया जिसमें प्रथम पुरस्कार ग्रुप छात्राएं रानी, इरशत, शिखा दहेरिया और द्वितीय पुरस्कार नोसिन, शिवानी पटेल, गरिमा नरवाये तथा तृतीय पुरस्कार मयूरी, निशा, नेहा को मिला। पोस्टर प्रतियोगिता में सीएचओ ने भाग लिया जिसमें प्रथम निधि बघेल, द्वितीय टीना वर्मा, सूर्यजीत शर्मा तथा तृतीय मयूरी हिले, दामिनी रही।

कार्यशाला • रातेयो इयाई एवं रेड रिबन पत्थ द्वारा विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली एवं सेमिनार का आयोजन

एड्स रोगी को भी सामान्य जीवन का अधिकार उसे समाज से अलग नहीं किया जाना चाहिए

छात्र-छात्राओं व लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने निकाली रैली

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लगाया जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एड्स की रोकथाम व बचाने के लिए जागरूक किए जाने के साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। सदस्य सचिव राजीव कर्महे ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं व इससे संबंधित लाभकारी योजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निराकरण का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने व जनमानस में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भविष्य में समय-समय पर पूर्व प्रदेश में जागरूकता व संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया, डॉ. धीरज दवंडे, जीतेंद्र मोहन धुर्वे ने आवश्यक जानकारी दी। ट्रांसजेंडर समुदाय से अब्दुल रहीम, कशिश चौहान व बृजमोहन भी मौजूद रहे।

रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जागरूक

विश्व एड्स दिवस पर निकाली जागरूकता रैली : अलवर | विश्व एड्स दिवस पर निकिता महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा बुधवार को जागरुकता रैली निकाली गई। ग्राम सुरतगढ़ पलमर में निकाली गई रैली को महाविद्यालय प्राचार्य पीआर यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान जनता को जागरूक करने नुक्कड़ नाट्य भी किया गया। इस अवसर पर आरएस पटेल, डा. प्रज्ञा दुबे, राहुल बघेरे आदि मौजूद रहे।

ग्रामीणों को दी एड्स बीमारी की जानकारी

नवभारत न्यूज

सीसर 1 दिसम्बर. प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा गंगवती प्रसाद शर्मा के निर्देशानुसार हमील विधिक सेवा समिति सीसर के अध्यक्ष राजदीप सिंह ठाकुर जिला न्यायाधीश द्वारा विश्व एड्स दिवस 01 दिसंबर के अवसर पर ग्राम पंचायत रमपेठ से अंनिलाइन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया.

कार्यक्रम में श्री ठाकुर द्वारा उपस्थित ग्रामीण लोगों को एड्स बीमारी क्या होती है? यह फैलता कैसे है? इससे बचने के तरीके की जानकारी दी एवं लाया कि संविधान द्वारा जो आम आदमी के लिए जो अधिकार दिए हैं वो सभी अधिकार एड्स बीमारी से पीडीत व्यक्ति को भी प्राप्त होते हैं, वे समाज का ही हिस्सा है सभी लोगो को उन्हें अपने से पृथक नहीं मानना चाहिए और न है उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना चाहिए, कार्यक्रम में सिविल अस्पताल सीसर से उपस्थित खण्ड विस्तार प्रशिक्षक श्री गुमडाम द्वारा एच आई वी एड्स बीमारी किन किन कारणों से फैलता है? उसकी विस्तार से जानकारी दी और उससे बचने के उपाय तथा शासन द्वारा पृथक से सिविल अस्पताल में ही जांच कराने एवं ईलाज की जानकारी दी तथा यह भी बताया कि एच आई वी से पीडीत व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जाती है. कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश श्री राजदीप सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री प्रगवदीप ठाकुर एवं वी. ई. सिविल अस्पताल श्री तुमडाम उपस्थित रहे, कार्यक्रम का आयोजन पैरा लीगल वोलेंटियर श्री नजीर पठान एवं शैलेंद्र बागडे द्वारा किया गया.

लोगों को जागरूक कर मनाया एड्स दिवस

भास्कर संवाददाता | सीहोर

1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया। जिला चिकित्सा सेवा प्राधिकरण ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिला अस्पताल के डॉक्टर व उनकी टीम के माध्यम से जिलेभर के लगभग जीवनी के साथ हरिओम अंतर्राष्ट्रीय व जिला चिकित्सा सहायता अधिकारी नरेंद्रा मेहरोत्रे सहित अन्य कार्यालयों इसमें मौजूद थे। सचिव ने बताया कि मोतीलाल नेहरू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9 बजे हस्ताक्षर लगाया। जिला अस्पताल के डॉक्टर व उनकी टीम के माध्यम से जिलेभर के लगभग जीवनी के साथ हस्ताक्षर लगाया। मुख्य मार्ग पर रैली की गतिविधियों व जागरूकता के संबंध में जागरूक किया गया कार्यक्रम प्राधिकरण ने रैली चालन्त लाइन, जिला अस्पताल, विद्यालय संस्था के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलकर किया। शिविर के बाद प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं ने मिलकर जिला अस्पताल, मुंबई बाजार व बुधवारिया मार्ग पर रैली की निकाली।

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली

भूमिका भास्कर संवाददाता | शहडोल

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री व्ही.पी. सिंह के मागदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल एवं जिला चिकित्सालय शहडोल के समन्वय से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज जिला चिकित्सालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गयी एवं विधिक जागरूकता शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल एवं जिला जेल के समन्वय से जिला शहडोल में विधिक जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

एचआईव्ही एड्स से बचाव है केवल सावधानी और सुरक्षा

एड्स की बात सबके साथ विषय पर जागरूकता रैली निकाली गई

बिट्टी रिपोर्टर | कटनी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश व सचिव दिनेश कुमार नोटियां के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक सेवा संस्थाओं के सहयोग से एड्स दिवस पर जिला चिकित्सालय से मिशन चौक तक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ मिशिल सर्जन डॉ. शरावत वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया।

जागरूकता रैली के साथ ही चिकित्सालय में एड्स विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव श्री नोटियां ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं अन्य व्यक्तियों को एड्स के प्रति जागरूक करते हुये समस्त जानकारी दी कि एचआईव्ही एड्स से बचाव केवल सावधानी एवं सुरक्षा है। इससे बचने कोई भी टीका नहीं है फिर भी जिम्मेदारी और समझ से काम लेकर और थोड़ी सावधानी बरतकर हम अपने को इससे बचाये रख सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रदीप कुमार मुद्दिया, सिविल सर्जन डॉ. यशवंत कुमार, सहीनाथ नर्सिंग महाविद्यालय, एम जी एम नर्सिंग महाविद्यालय शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी के छात्र छात्राओं व स्टाफ सहित जिला एड्स नोडल अधिकारी डॉ. मोनेन्द्र श्रीवास्तव, डॉ. एसपी सेनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक धनंजय मिश्रा, डीमीएम सतीश जैन, आशीष लखेरिया, आईसीटीसी काउंसलर हेमंत श्रीवास्तव, राघवेंद्र शर्मा, मोनिका जैन व सिहार हिमालय गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा में निकाली गई जागरूकता रैली- जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत बुधवार को ग्राम जगतपुर उर्मरिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विश्व एड्स दिवस के अवसर पर रैली के माध्यम से ग्रामवासियों को एड्स जैसी महामारी से बचने के लिये जागरूक किया गया। जागरूकता रैली में विद्यालय प्राचार्य मनीष कुमार तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह बैस द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में जवाहर नवोदय विद्यालय की एनएसएस इकाई के बच्चे तथा विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे।

विश्व एड्स दिवस पर जेल में रक्त परीक्षण शिविर सम्पन्न, जागरूकता रैली निकाली

विश्व एड्स दिवस पर जिला अस्पताल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

कार्यक्रम • स्कूल एवं कॉलेज में प्रतियोगिता, संवाद और जन जागरूकता कार्यक्रम हुए

भास्कर संवाददाता | रीवा

रीवा (नवभारतदेश)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में विधिन कुमार लवानिया एडवोकेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सगोड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिन कुमार लवानिया ने कहा कि विश्व एड्स दिवस वर्ष 1988 के बाद से प्रतिवर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य इस बारमा बीमारी के संबंध में जनसामान्य में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस एचआईवी है। यह संक्रामक बीमारी है जो एचआईवी नामक विषाणु से होती है। जिसका अभी तक कोई प्रभाणिक इलाज उपलब्ध नहीं है परंतु सावधानी बरतने से इससे सुरक्षित रह सकते है। उन्होंने कहा कि केवल छूने से एड्स नहीं फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के माध्यम से यह संक्रमण फैलता है। इसलिए इससे बचाव हेतु सावधानी बरतनी जरूरी है। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार सिंह ने एड्स पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एड्स दिवस की थीम असमानता, एड्स व महामारियों का अंत है। जिसके तहत समाज में महामारियों से लड़ने के लिए बचाव के सभी उपायों को अपनाने हुए समान व्यवहार भी करना है। संगोष्ठी में अधिवक्ता सतीष मिश्रा, कौशलेश सिंह, नागेन्द्र सिंह महरमार, पवन पटेल, पुष्पेन्द्र पटेल, कमलनारायण सिंह, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं रोजलन इनवायरमेंटल एण्ड हयूमिनेटी आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धर्मेन्द्र नाथिया, भीम सिंह, कैलाश सत्यार्थी पाठशैशन के सुमित सिंह उपस्थित रहे।

एड्स जागरूकता रैली निकाली गई

रीवा (नवभारतदेश)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में विधिन कुमार लवानिया एडवोकेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सगोड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिन कुमार लवानिया ने कहा कि विश्व एड्स दिवस वर्ष 1988 के बाद से प्रतिवर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य इस बारमा बीमारी के संबंध में जनसामान्य में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस एचआईवी है। यह संक्रामक बीमारी है जो एचआईवी नामक विषाणु से होती है। जिसका अभी तक कोई प्रभाणिक इलाज उपलब्ध नहीं है परंतु सावधानी बरतने से इससे सुरक्षित रह सकते है। उन्होंने कहा कि केवल छूने से एड्स नहीं फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के माध्यम से यह संक्रमण फैलता है। इसलिए इससे बचाव हेतु सावधानी बरतनी जरूरी है। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार सिंह ने एड्स पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि रैली कुशाग्रराज ठाकरे जिला चिकित्सालय के प्रांगण से हॉस्पिटल चौराहा से गुजरती हुई शिल्पी प्लाजा, रानी तालाब पुल छात्राओं द्वारा गीत, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता में अपनी भा

Thu, 02 December 2021
दैनिक भास्कर DainikBhaskar.com
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/64704229

रेड रिबन लगाकर एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन कर विश्व एड्स दिवस मनाया

सीमरा (निप्र)। दिनांक 01 दिसम्बर 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीमरा द्वारा विश्व एड्स दिवस विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर एवं लोगो को रेड रिबन लगाकर मनाया गया।

माननीय अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्री राजदीप गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश श्री गुप्ता विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संजय कुमार जैन, जूनि. सीनि. के मेजिस्ट्रेट एवं सचिव तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बघेल, पिलिकला अधिकारी श्री बघेल, पिलिकला अधिकारी श्रीमती श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण समिति श्री पिनेका प्रसाद एवं जन्म निर्देशिकाएं उपस्थित थे। नर्सिंग सिस्टरीयों की प्रभारी एवं उपस्थित सभी को रेड रिबन लगाकर एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में आये हुये मरीजों को रेड रिबन लगाकर किया गया।

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में कुशल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री बघेल, पिलिकला अधिकारी श्रीमती श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण समिति श्री पिनेका प्रसाद एवं जन्म निर्देशिकाएं के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार मांझी, जिला एड्स नियंत्रण समिति के सदस्य श्री संजय कुमार जैन द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में आये मरीजों को रेड रिबन लगाकर किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार मांझी, जिला एड्स नियंत्रण समिति के सदस्य श्री संजय कुमार जैन, जूनि. सीनि. के मेजिस्ट्रेट, जिला चिकित्सालय एवं सचिव तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बघेल, पिलिकला अधिकारी श्रीमती श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण समिति श्री पिनेका प्रसाद, नर्सिंग सिस्टरीयों की प्रभारी एवं उपस्थित सभी को रेड रिबन लगाकर किया गया।

विश्व एड्स दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

श्योपुर।जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं ?शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वावधान में विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर द्वारा विश्व एड्स दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज दिनांक 1 दिसम्बर 2021 को किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने कोरोना-गाइडलाइन का पालन करते हुए सहभागिता दर्ज कराई। इस जागरूकता शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर के प्राधीश न्यायाधीश श्योपुर के प्राचार्य डॉ. एस. डी. राठौर ने इस अवसर पर कहा कि हमें एड्स के कारणों की सही जानकारी प्रदान की। डॉ ओ. पी. शर्मा ने एड्स की जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाये जाने पर बल दिया ? सासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर के प्राचार्य डॉ. एस. डी. राठौर ने इस अवसर पर कहा कि हमें एड्स के कारणों की सही जानकारी प्रदान की। डॉ ओ. पी. शर्मा ने एड्स की जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाये जाने पर बल दिया ? सासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर के प्राधीश न्यायाधीश श्री ए. के. जोशी ने बताया कि वायरस क्या होता है, एड्स और कैरीयर के बीच में क्या अंतर है? दोनों वायरसों के लक्षण, कारण और फैलाने के अंतर से भी छात्राओं को अवगत कराया। साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं अनुका गुप्ता, पारूल भोला और किजा बानो ने एड्स के कारण, लक्षण, उपचार और जागरूकता के विषय में अपने-अपने विचार कार्यक्रम में रखे।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला न्यायाधीश, श्योपुर पवन कुमार बादिल, डॉ रमेश भारद्वाज, प्रो खेमराज आर्य, प्रो प्रकाश अहिरवार सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम - समिति संयोजक डॉ. परवीन वर्मा द्वारा किया गया ।

हाईकोर्ट ने तैयार किए 72 स्वयंसेवक, कराएंगे सुलह

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. अदालतों में बढ़ रहे मुकदमों की संख्या से न्याय मिलने में देरी हो रही है। शीर्ष कोर्ट के विशेषज्ञों ने जब इसके कारणों की पड़ताल की तो पता चला कि छोटे-छोटे मुकदमे संख्या बढ़ा रहे हैं, जबकि इनका निराकरण समुदाय स्तर पर मध्यस्थता क्लीनिक से हो सकता है। हाईकोर्ट ने विभिन्न समाज के 72 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया। यह स्वयं सेवक ऐसे सामान्य मुकदमों में कानून सम्मत निराकरण कर परिवादी और फरियादी के बीच सुलह के प्रयास करेंगे।

इंदौर खंडपीठ में प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस सुजॉय पॉल व जस्टिस विवेक रूसिया के मार्गदर्शन में विधिक सेवा समिति ने इन स्वयं सेवकों को 7 दिन तक प्रशिक्षण दिया है। शनिवार को समापन कार्यक्रम में जस्टिस पॉल ने कहा कि मध्यस्थता की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया गया है। आप सभी ऐसे समूह से हैं, जिनकी समाज में स्वीकार्यता है। आपके प्रयास से छोटे-छोटे मुकदमे कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बीके द्विवेदी ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलवाई। मास्टर ट्रेनर डॉ. मोहम्मद शमीम व आरती शर्मा ने प्रतिभागियों को मामलों के निराकरण का अभ्यास करवाया। समझौता व अनुबंध लेख के प्रारूप पर चर्चा की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मनीष श्रीवास्तव ने बताया, मध्यस्थता सफल होने पर अनुबंध को स्थायी व लोक अदालतों के माध्यम से विधि मान्य करवाया जा सकता है।

मध्यस्थता क्लीनिक से करेंगे काम

20 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विभिन्न समाज के 72 प्रबुद्धजनों को कार्यक्रम में प्रमाण-पत्र दिए गए। भविष्य में खोले जाने वाले मध्यस्थता क्लीनिकों के साथ काम करने संबंधित दिशा-निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार नवीन पाराशर, एच्ची मंडलोई भी मौजूद रहे।

भास्कर खास • हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक जज सुजॉय पाल की अनूठी पहल

घर के विवाद घर में ही सुलझ जाएं... इसलिए 16 समाजों के वरिष्ठजनों को हाईकोर्ट दे रहा ट्रेनिंग

भास्कर संवाददाता | इंदौर

सुजॉय पाल
प्रशासनिक जज

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक जज सुजॉय पाल ने एक अनूठी पहल की है। समाजों के आपसी विवाद जो निचली अदालतों से चलकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामले सामाजिक मध्यस्थता के जरिए ही सुलझ जाएं, इसके लिए समाज के वरिष्ठजन को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कानून के जानकारों से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। समाजजन के बीच कोई विवाद की स्थिति बनती है तो सामाजिक मध्यस्थता के जरिए समाज के पंच ही उसे सुनकर निराकृत कर देंगे। प्रशासनिक जज पाल ने जबलपुर में भी इस तरह की व्यवस्था शुरू करवाई थी। घरेलू विवाद, पति-पत्नी के बीच होने वाले विवाद, दंपती के अलग होने के मामलों का निराकरण समाजों की पंचायत ही कर रही है।

हफ्ते में 20 घंटे का प्रशिक्षण : धाराएं समझा रहे, सुनवाई के तरीके बता रहे

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बीके द्विवेदी के मुताबिक जैन समाज, वाल्मिकी, माहेश्वरी, खंडेलवाल, ब्राह्मण, वैश्य, कोरी, बैरवा, नेमा, पासी, बंगाली, महाराष्ट्रीयन, अग्रवाल, मुस्लिम, सिख, गहोई वैश्य समाज के प्रतिनिधि हाईकोर्ट परिसर में कुल सात दिन में 20 घंटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। समाजों के वरिष्ठजन को वाकायदा कानूनी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर गिरिबाला सिंह, राजीव कर्महे द्वारा घरेलू विवाद में लगने वाली धाराएं, सुनवाई के तरीके, विवाद के मुख्य कारणों को तय करना, उन पर विचार किस तरह किया जाए जैसे सुनवाई के कई पहलू बारीकी से समझाए जा रहे हैं।

कोर्ट से निराकरण के बाद भी विश्वास का वातावरण नहीं बनता

अधिवक्ता आनंद अग्रवाल कहते हैं कि समाजों के मसले भले ही अदालतों से निपट जाएं, पर उसके बाद भी सामंजस्य और विश्वास का वातावरण नहीं बनता है। समाज द्वारा ही सुनवाई की जाएगी तो विवाद खत्म होने पर संबंधों में भी मधुरता रहेगी। पैसा और समय दोनों बचेगा।

मध्यस्थता प्रशिक्षण | **सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के तहत हाईकोर्ट की पहल**

3 करोड़ से ज्यादा ऐसे केस जो आपस में बैठकर सुलझा लेंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

समाज के सेवाभावी लोगों को प्रशिक्षित कर बनाएंगे मध्यस्थता सेंटर

इंदौर. देश मे शीर्ष से लेकर निचली अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं, जिन्हें आप और हम समाज के फोरम पर बैठकर सुलझा लेंगे। कई समाज, मोहल्लों में ऐसे फोरम काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट का विधिक सेल मध्यस्थता के माध्यम से यह सब करने जा रहा है। समाज के सेवाभावी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा हैं।

हाईकोर्ट इंदौर द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत रविवार को हुई। इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस सुजोय पॉल के मार्गदर्शन में यह पहल की जा रही है। शुभारंभ जस्टिस विवेक रूसिया ने किया। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से कहा, सामुदायिक सहभागिता से समाज के स्तर पर ही कई छोटे-छोटे विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी। आप सभी से अपेक्षा है कि मध्यस्थता कार्यक्रम से रूबरू होकर समाज में निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। कार्यक्रम में डॉ. मोहम्मद शमीम, शहर काजी इशरत अली, शिक्षाविद् प्रो. रमेश मंगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बीके द्विवेदी, हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष सूरज शर्मा सहित अभिभाषक और समाज के लोग मौजूद थे।

यह बोले समाजिक कार्यकर्ता

- शहरकाजी इशरत अली ने कहा, समाज के इस काम में कानून के साथ से फायदा होगा।
- शिक्षाविद् रमेश मंगल ने कहा, अनावश्यक मुकदमेंबाजी में पैसा, समय, परिवार तीनों ही बर्बाद होते हैं।
- अभिभाषक सूरज शर्मा ने कहा, मध्यस्थता से साधारण मुकदमों को हल करने में मदद मिलेगी। हम सभी सहयोग करेंगे।

इन समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे

बोहरा समुदाय, जैन समुदाय, वाल्मिकी समुदाय, माहेश्वरी समुदाय, खंडेलवाल समुदाय, ब्राम्हण समुदाय, वैश्य समुदाय, कोरी समुदाय, बैरवा समुदाय, नेमा समुदाय, पासी समुदाय, बंगाली समुदाय, महाराष्ट्रीयन समुदाय, अग्रवाल समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय एवं गहोई वैश्य समुदाय के प्रबुद्धजन सम्मिलित हुए।

समझौता कराने में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाएं

आईना विचारों का...

सीहोर। प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर श्री आर.एन. चंद के मार्गदर्षन एवं गरिमामय उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.2021 को समय 02:00 बजे से जिला पंचायत सीहोर में विधिक साक्षरता षिविर का आयोजन किया गया जिसमें श्री आर.एन. चंद माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष महोदय, श्री मुकेष कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर, श्री संजय कुमार शाही प्रथम जिला न्यायाधीष एवं श्री हर्ष सिंह जिला पंचायत सीईओ सीहोर, श्री अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर, श्री सिद्धगोपाल वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीहोर एवं ग्रामों पंचायतों के सरपंच उपस्थित हुए।

चलित विधिक सेवा केंद्र : जो जहां मिला वहीं समझाया कानून

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ब्यावरा. कानून की समझ पैदा करने, विभिन्न अधिकारों की जानकारी देने और कानूनी अन्य बारीकियां बताने के लिए विधिक सहायता शिविर न्यायालय द्वारा लगाए जा रहे हैं।इसी कड़ी में चलित विधिक सेवा केंद्र की शुरुआत भी की गइहै। जिसमें वॉलंटियर्स द्वारा जो जहां मिल रहा है उसे वहीं कानूनी, न्यायिक जानकारियां दी जा रही हैं। रविवार को पैरा लीगल वॉलिएंटर देवनारायण दांगी ने कानूनी जानकारी राहगीरों को दी। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल लगाकर चलित विधिक सेवा केंद्र पर कानूनी बारीकियां आमजनों को बताईं। जिला विधिक सहायता अधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में आयोजित है। जिसमें पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं।

जज और अधिकारियों बुजुर्गों से सुने भजन, बच्चों के साथ खेली बॉलीबॉल

वृद्धाश्रम, बाल सम्प्रेक्षण गृह और मां स्वरूपा शिशु गृह का निरीक्षण करने पहुंचे थे प्रधान न्यायाधीश

नगर संवाददाता

मुरैना। सोमवार को जिले प्रभारी प्रधान न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी बाल सम्प्रेक्षण गृह, वृद्धाश्रम और जिला अस्पताल स्थित मां स्वरूपा शिशु गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। आमतौर पर न्यायिक क्षेत्र के अधिकारी इन स्थानों पर नियमित रूप से पहुंच ही हैं, लेकिन सोमवार को यह निरीक्षण कुछ खास था। ऐसा लगा मानो न्यायिक अधिकारी यह संदेश देने निकले हों कि उनका वास्तविक ठिकाने न्यायालय परिसर में आसीन रहकर न्याय करना ही नहीं, बल्कि समाज के सभी तबकों को उनके बीच जाकर सुधार का संदेश देना भी है। फिर यह संदेश केवल आपराधिक मामलों ही नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को लेकर भी हो सकता है।

मुरैना जिले के प्रभारी प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र कुमार भदोरेय सोमवार को जानकारी मिलने मां स्वरूपा शिशु गृह, अपना घर वृद्धाश्रम और जिला अस्पताल परिसर में स्थित मां स्वरूपा शिशु गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधान न्यायाधीश ने तीनों स्थानों पर कर्मचारियों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कुछ समय भी बिताया। प्रधान न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार भदोरेय सहित निरीक्षण दल ने बाल सम्प्रेक्षण गृह में विधि विरोधी बालकों के साथ बॉलीबॉल खेली। इस दौरान बालकों के साथ संवाद करते हुए न्यायिक अधिकारियों ने उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और उनकी समस्याएं भी जानीं। इसके बाद वृद्धाश्रम पहुंचे प्रभारी न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव राकेश कुमार शर्मा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सुनीत कुमार खरे और जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने वृद्धाश्रम का दौरा किया।

कुछ देखा कुछ स्वभाव: वृद्धाश्रम निरीक्षण पर आए प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र कुमार भदोरेय ने वृद्धजनों से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। तभी एक वृद्ध ने बताया कि समय गुजारने के लिए वह भजन और संगीत का भी सहारा लेते हैं। ऐसे में न्यायाधीशगण ने इच्छा जताई कि वृद्धजन उन्हें भजन सुनाएं। फिर क्या था मीके पर पेटी आ गई और सुरों का संगम भी दिखाई देने लगा। जिसने भी वृद्ध मौजूद थे न्यायाधीशगणों ने सभी से भजन सुने और उनकी सराहना की। किसी ने समयुक्त सुनाई तो किसी ने राधाकृष्ण की चौपाइयों से उन्हें बांध दिया। वृद्धजनों में जीवन को लेकर अनोखी चाह देखकर प्रसन्नता किए बिना नहीं रह सके।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाविद्यालय में मनाया मानव अधिकार दिवस

प्रावार्य सहित काउंसलर ने दी मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होने की सलाह

तारकेश्वर प्रतिनिधि, मेहलगांव

तेरकेश्वर के पोडा जनजातीय नेहरू शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जनजाति के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मुक्तकला की व्याख्यान अधिकार दिवस मनाया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पैरालिगल वॉलंटियर्स कार्यक्रम एवं पैरालीगल संदेश रानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अधिकार दिवस प्रतिवर्ष, कार्यक्रम एवं अधिकार रूप से वंचित लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मनुष्य को जन्म से ही यह तय की परिपाटण करने के साथ ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जिस अधिकार का दिए गए हैं पर यह लोगों तक नहीं पहुंच पाए है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अधिकारों को तो जानते हैं पर उनका उपयोग करने से कतराते हैं। आज सीमित्तिकर्ता मानते नहीं हैं यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। यही पैरालीगलस् एक की यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए भरे मानिक का कारण भी किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालगल वालंटियर्स लगाई ने द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि गांव व्यक्तियों हेतु फोनेड़ हेतु एवम्पायत संसदों, लोक अदालतों संसदों, बच्चों के लीगल सेलस संसदों, प्रकाशों पर विधिक सहायता दी जाती है। वेतनता लोक अदालतों के माध्यम से सम्बन्धित विवादतों का निपटाकर भी किया जाता है। शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजू सरवरते ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन समूचे विश्व में किया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी औपचारिक घोषणा की गई थी।

भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों का वर्णन किया गया है साथ ही उनकी जानकारी नहीं होने से अधिकतर लोग अपने अधिकारों को उतर नहीं पाते हैं और उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं इस बात की जानकारी दी कि हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। कार्यक्रम का संचालन राजेश गजरवाले एवं आभार डॉ. बसन्त चौहान ने व्यक्त किया। इस अवसर पर पैरालगल वालंटियर, लोकेश, विनोद वाघुरे, सौम्या आहाजा आदि, महाविद्यालय परिवार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

बाल भवन और वृद्धाश्रम में आयोजित किया विधिक शिविर

दमोह। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में बाल भवन दमोह में गत दिवस विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी गुन्ता डांगे एवं बाल भवन दमोह बच्चे के एवं स्टॉफ उपस्थित रहे।

पैरालीगल वालंटियर प्रशिक्षण आयोजित

भास्कर न्यूज, मंडला

विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय मंडला में 1 दिवसीय पैरालीगल वालिंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश आर एस शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया। पैरालीगल वालिंटियर को सम्बंधित करते हुए बताया की भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य,हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम ,भरण पोषण ऐसी अनेक कानून के बारे में बताया। प्रशिक्षण में जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रीति श्रीवास्तव के द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यपता योजना,गरीबी उन्मूलन, लोक सेवा गारण्टी कानून एवं अनेक योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद कुमार चौधरी के द्वारा आपराधिक विधि एफआईआर, गिरफ्तारी ,जमानत, महिलाओ संबंधी आपराधिक विधि प्रावधान के बारे में जानकारी दी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष सुनहरे ने 138 एन आई एक्ट, लोकउपयोगी अधिनियम के व्यवहारिक प्रावधान के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त चाइल्ड लाईन,महिला एवं बालविकास विभाग एवं अनेको विभाग से आये अधिकारीयो के द्वारा अपने-अपने विभागो की संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी प्रदान की गई।

विधिक सहायता शिविर: जेल बंदी हो या आम नागरिक, सभी के अधिकार समान हैं: अपर जिला न्यायाधीश

सीहोर, राजधानी के पास। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश पर जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसके साथ ही अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने जेल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जेल बंदियों को जेल में दाखलाओं से प्राप्त गर्म कपड़े एवं टोपी वितरित किए।

इस शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री दांगी जिला ने जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं का समाधान किया एवं विधिक कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि अपराध की पुनरावृत्ति न करें। जेल में यह दृढ़ संकल्प लें कि अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और यहां से बाहर जाकर अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेंगे। अपने परिवार एवं परिवार को भी समाजसेवक आचरण एवं व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी नागरिक और सांविधिक शक्ति को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए लगाए एवं बाहर जाकर अच्छे नागरिक बनें और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं।

इसी के साथ उन्होंने महिला बंदियों को कहा कि गुस्से और आवेश में आकर कोई गलत कार्य न करें, दो पल के गुस्से एवं क्रोध के कारण पूरा परिवार परेशान हो जाता है। शिविर में जेलबंदियों को नालसा परिवहन नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नि:शुल्क विधिक सहायता एवं लगत एवं प्लीबार्गेनिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस अब्बासी एवं जेल अधीक्षक श्री संजय सहाल उपस्थित थे।

60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन को संतान के साथ ही पोते-पोतियों से भी भरण पोषण का अधिकार: प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश पर जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसके साथ ही अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से मिलकर उनके स्वास्थ्य एवं खान-पान संबंधी हाल-चाल जाने। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन अपनी संतान के साथ-साथ पोते-पोतियों से भी भरण पोषण लेने के अधिकार रखते हैं, वे इसके विरुद्ध राजदीवान न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पैरवी करने हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने नालसा द्वारा परिवारों के लिए संचालित योजना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 की विस्तार से जानकारी दी।

इसके साथ ही शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष जैन ने वृद्धा आश्रम में होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से चुप्पा जिला पर वृद्ध जनों द्वारा सब कुछ ठीक होना व्यक्त किया। केन्द्र में शिविर के दौरान अपर जिला न्यायाधीश श्री दांगी ने बताया (नाता पीढ़ियों के लिए विधिक सेवा योजना) 2015 की जानकारी देते हुए नशे के आदि व्यक्तियों को बुरी आदतों को त्यागकर मुख्य धारा से जुड़ने एवं परिवार तथा समाज में पुनः अच्छे लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया।

श्यामपुरा गांव में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य

भास्कर संवाददाता | नरसिंहगढ़

विवाद विहीन गांव श्यामपुरा में सोमवार को ऑनलाइन विधिक जागरूकता और वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार भाटिया के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया।

इसकी मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जिला न्यायाधीश मीनल श्रीवास्तव और विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्धीकी थे। शिविर में विधिक स्वयंसेवी दल के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पैरा लीगल वालंटियर, स्वास्थ्य कर्मचारी और ग्रामीण शामिल हुए।

न्यायाधीश मीनल श्रीवास्तव ने स्वयंसेवी दल के सदस्यों से गांव में वर्तमान में लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही सदस्यों को निर्देश दिए कि वे 1 सप्ताह में बैठक करके संबंधित पक्षकारों से चर्चा कर प्रकरणों को आपसी सहमति से हल करें। साथ ही नेशनल लोक अदालत में भी इनका समाधान करें।

उन्होंने ग्रामीणों को विवाद रहित ग्राम योजना के बारे में बताया। ग्रामीणों से यह भी कहा कि वे अपने गांव को शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड करवाएं, ताकि कोरोना से बचाव करने में सहायता मिल सके। वर्चुअल बैठक में ग्राम सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, पर्वत सिंह, मुकेश दांगी, बालकिशन, कोमल प्रसाद दांगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपिका गौड़, तहसील कोष्ठी, स्वास्थ्य विभाग से आदि शामिल हुए।

24 ग्रामीणों को बीएमओ ने टीके लगाए

इस अवसर पर वैक्सीनेशन शिविर भी रखा गया। जिसमें बीएमओ डॉ गौरव त्रिपाठी के निर्देशन में 24 ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही बचे हुए ग्रामीणों को पहले वैक्सीन की अवधि पूरी होने के बाद अगले दिनों में निर्धारित तिथि को वैक्सीन लगाने के बारे में बताया।

विधिक सेवा समिति के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन शिविर लगाया।

घरेलू हिंसा पीड़िताओं को बताए कानूनी अधिकार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन स्टाप सेंटर में साक्षरता शिविर का आयोजन

भास्कर न्यूज छतरी | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिये वन स्टाप सेंटर कटरी में विधिक साक्षरता शिविर व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष रमाप्रभाकर उपाध्याय के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश व सचिव जिला कुमार नीहेन्द्र ने की।

शिविर में जिला विधिक साक्षरता अधिकारी श्री.टी. दीक्षित उपस्थित रहे। सचिव श्री नीहेन्द्र ने बताया कि महिलाओं के खिलाफहिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 के वर्ष के दौरान स्थापित किया गया था। यह दिन महिलाओं के खिलाफहिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या महिलाओं को नुकसान होता है, जिसमें धमकियां या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता की अनैच्छिक वंचना है। इस प्रकार की व्यवहारिक हिंसा महिलाओं के समान प्रगतिपूर्ण के उन्मूलन तथा महिलाओं को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस आयोजित किया जाता है। महिलाओं से संबंधित कानून अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, महिलाओं के व्यवहार अधिकार मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, पीड़ित प्रभावित के परिवारों के लिये विधिक सेवा योजना, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और पुनर्वास के लिये विधिक सेवा योजना, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि पर प्रकाश डाला गया। साथ ही महिला थाना से वन स्टाप सेंटर रेफर की गई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की कानूनविदों एवं पारिवारिक विवाद को समाधान के माध्यम से सुलझाने के लिये थाना करने हेतु प्रोत्साहित किया। जिससे महिलाओं के हित में पहल हो सके। कार्यक्रम में पालकमंत्र वन स्टाप सेंटर की योजनी ताप, अधिकारा सीमा लिह बनेल, पीड़ितकी आहताधा शिकारी, तरल खो उच्च जिला प्रधिकारण ने भी संबंधित विषयों पर सारगर्भित जानकारी दी। चर्चाओं में महिलाओं ने ऐसे कार्यक्रम को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बताया।

शिविर में पहुंची महिलाएं।

किसान दिवस पर मंडी में विधिक साक्षारता शिविर का हुआ आयोजन

शिविर में किसानों को दी गई जानकारी

हरिवल्लभ न्यूज ▶भंवरगंजरा

हरदा। 23 नवंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को बताना जरूरी है कि सरकार द्वारा विधिक साक्षरता के माध्यम से गरीबी एवं गरीब किसानों को मदद की जा रही है। यदि किसी सिंच किसान को भूमि संबंधी वंवाद में वकील की आवश्यकता है तो समिति जिलाउक्त वकील उपलब्ध हराकर पैरवी करवाएगी। उक्त उद्गार शिविर की अध्यक्षता कर रहे हाडमील विधिक साक्षरता समिति के लघभग एवं अपर सत्र न्यायाधीश ध्यस नाकन्ध द्वारा कृषि उपज मंडी लगान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में व्यक्त करते हुए हानुन संबंधी जानकारी देते हुए मक्त किए गए। वहीं प्रथम अपर अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहारे अपने संबोधन में किसानों को अत्यन्तहाल निकलित करते हुए कहाकि देश की सीमा पर जवान हमारी रक्षा करता है और किसान हमारा पेट भरता है। इसलिए वह समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने किसानों को समझाइश देते हुए बताया कि अपनी खेती से सम्बंधित कामों या विवाद को कानूनी तौर पर निपटाने से पीढ़ी दर पीढ़ी विवाद नहीं होते हैं। यदि हम किसी से घृणि का सौदा करते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए ताकि भविष्य में आपकी अगली पीढ़ी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि छोटे-छोटी बातें विवाद का बड़ा रूप ले लेती है, जिससे मुकदमे बाजी में पड़ना पड़ता है।

धर्म ▸ समाज ▸ संस्था

स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

भास्कर संवाददाता | टीकमगढ़

आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था ढोंगा में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को बृजेश पटेल जिला विधिक सहायता अधिकारी ने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि न्याय सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक अथवा पिछड़ेपन के कारण न्याय से वंचित न रहे। जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं जैसे तस्करी और यौन शोषण से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना, लीगल एड क्लीनिक, भरण-पोषण अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही विधिक सहायता एप की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण किया गया। बृजेश पटेल जिला विधिक सहायता अधिकारी ने 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जागरूक किया। कार्यक्रम में पीके वाजपेयी लीड बैंक प्रभारी अधिकारी, वाल्टर भैंगरा डायरेक्टर आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था, कनीजा खान मास्टर ट्रेनर सहित प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे।

बाल सम्प्रेषण गृह में जागरूकता शिविर सम्पन्न

खण्डवा ■ राज नूतन पेटवॉ

प्रधान जिला न्यायाधीशएवम्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव रस कालगांवकर के महादेशानि में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव हरिओम अग्रतनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को बाल सम्प्रेषण गृह खण्डवा का निरीक्षण किया व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर के सचिव हरिओम अग्रतनिवास द्वारा कहा गया कि कुसंगति कई बार जीवन में गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में गलत व्यक्ति का चुनाव फिर के रूप में नहीं करना चाहिए व्यक्ति गलत व्यक्ति की कुसंगति के प्रभाव के चलते कई बार हम जाने अनजाने में अपराधिक गतिविधियों में या ऐसे कार्य में लिप्त हो जाते है जो कि हमारे जीवन व भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

कुसंगति हमारे मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालती है इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ मित्रता करना चाहिए। इस अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अग्रतनिवास द्वारा कहा कि जीवन में शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है, हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते है शिक्षा के कारण ही हम जीवन में अपना व अपने परिवार का भविष्य उज्ज्वल बना सकते है तथा समाज व परिवार में मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते है, इसलिए जीवन में व्यक्ति को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

श्री अग्रतनिवास द्वारा बच्चों से चर्चा कर उन्हें नालसा की योजना, निःशुल्क विधिक सहायता, शिक्षा के महत्व आदि विधिक कानून की जानकारी बच्चों को देते हुए बाल उत्पीड़न गृह का निरीक्षण कर स्वच्छता, खान पान, कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क के महत्व आदि के संबंध में उचित निर्देश भी दिये गये।

वरिष्ठ नागरिकों को भी हैं विधिक अधिकारः विपिन

स्टार समाचार | रीवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन एवं विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण द्वारा वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत सारे विधिक अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वरिष्ठ नागरिक संबंधी योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण व उनकी सुरक्षा से जुड़े कानून नियमों आदि की सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। ताकि उन्हें अपने अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। शिविर में उपस्थित अपर जिला न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक परिवार में वरिष्ठ नागरिकों का होना उस परिवार की खुशहाली व कवच का परिचायक होती है। आज संयुक्त परिवारों के अलग होने से परिवार के बुजुर्गजनों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विधिक अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त है। इस संबंध में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण संबंधी अनेक अधिकारों को अधिरोपित किया गया है। जिसमें वरिष्ठ जनरिकों के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

मिडिएशन जगरुकता शिविर का आयोजन

सच संवाददाता ।। मंडलेश्वर

जिला एवम सत्र न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मिडिएशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने मिडिएशन को आज की आवश्यकता बताते हुए कहा कि प्रकरणों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिये मिडिएशन अच्छी विधा है । जल्द न्याय दिलाने के लिये हमें मिडिएशन को अपनाना होगा इससे अदालतों के बोझ कम होगा । प्रथम जिला न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि ईगो के कारण कई प्रकरण सुलझ नही पाते है जब कोई मध्यस्थ आ जाता है तो मामला सुलझ जाता है । कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने किया इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश सुश्री साधना माहेश्वरी जिला न्यायाधीश नरेंद्र पटेल जिला न्यायाधीश हेमराज सनोडिया जज श्रीमती संगीता डावर जज सुश्री स्वाति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजक प्रदीप सिंह अलावा श्रीमती कुसुम धार्वे प्रकाश सोलंकी प्रशासनिक अधिकारी मदन वडनेकर अधिवक्त अजय ठाकुर पैरालीगल वालेंटियर दुर्गेश राजदीप जोजु एम आर सन्तोष सिंह बैस कपिल बेलापूरकर सचिन सोनी सहित पक्षकारगण अधिवक्ता उपस्थित थे ।

कोई भी सामान या सेवा लेने से पहले अच्छी तरह परखना चाहिए: दांगी

पांच लाख रुपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं

जागरण, सीहोर। गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत टाउन हाल में उपभोक्ता दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपर जिला जज एमके दांगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का उपभोक्ता फोरम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं को भी प्रत्येक वस्तु क्रय करते समय या कोई सेवा लेते समय भलीभांति अच्छे से परख लेना चाहिए। वस्तु या सेवा गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर या अधिक दाम लेने पर संस्था के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर सेवाएं या वस्तुएं लेने की अपील की है। कार्यक्रम में कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने कहा कि कोई भी वस्तु अच्छी तरह जांच परख कर लेना चाहिए। हम जो वस्तु या सेवा ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि लगता है कि हम ठगे गये हैं तो उसकी तुरंत शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संस्था का दायित्व है कि वह निर्धारित मानकों के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करें। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भोपाल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीहोर जिले में भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान वर्ष में 318 परिवाद के प्रकरण दर्ज किए गए है। कार्यक्रम के आरंभ में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपर जिला जज श्री दांगी एवं कलेक्टर श्री ठाकुर ने खाद्य विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

पांच लाख रुपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगी

पांच लाख रूपये तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में प्रकरण दर्ज करने पर कोई शुल्क नही लगेगी। पाँच लाख से अधिक के मामलों में एक रूपये से पाँच लाख रूपये तक निल, पांच लाख रुपए से ऊपर एवं दस लाख तक 200 रूपये, दस लाख से ऊपर एवं बीस लाख रुपए तक 400 रुपए, बीस लाख से ऊपर एवं पचास लाख रूपये तक एक हजार रूपये तथा पचास लाख से ऊपर एवं एक करोड़ रुपए तक दो हजार रूपये का शुल्क लगेगा।

मदर टेरेसा आश्रम में किया कार्यक्रम का आयोजन

झाबुआ। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद सैयदुल अबरार के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लीलाधर सोलंकी की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को मदर टेरेसा आश्रम में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 एवं नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना-2015 के संबंध में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सोलंकी ने कहा कि मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति मानसिक विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। जिससे वह अपने मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकार का लाभ ले सके। मानसिक रूप से बीमार एवं अशक्त व्यक्तियों की मानव गरिमा की भी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है और उनके साथ मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता बल्कि उनके साथ अत्यंत संवेदना एवं सुरक्षा, देखभाल अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।

हरिभूमि | ल - गुना-राजगढ़-अशोकनगर भूमि 11 Dec 2021

विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर शिविर आयोजित

झाबुआ। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्री लीलाधर सोलंकी जी की अध्यक्षता में आज दिनांक 3 दिसम्बर-2021 को मदर टेरेसा आश्रम झाबुआ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 एवं नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना-2015 के संबंध में आयोजित किया गया था।श्री सोलंकी जी ने कहा कि मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति मानसिक विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। जिससे वह अपने मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकार का लाभ ले सके। मानसिक रूप से बीमार एवं अशक्त व्यक्तियों की मानव गरिमा की भी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता बल्कि उनके साथ अत्यंत संवेदना एवं सुरक्षा, देखभाल अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है और मानसिक बीमार व्यक्ति जानकारी के अभाव में उपेक्षा अथवा अंध विश्वास या साधनों के अभाव में उपचार प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

शिविर | मॉडल स्कूल में मना मानव अधिकार दिवस

विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन

सत्ता सुधार ■ रथोपुर

शहर के बायपास रोड पर स्थित शासकीय मॉडल स्कूल में आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे विश्व मानव अधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं को मानवीय कर्तव्यों एवं संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से जागरूक किया गया। यह जानकारी देते हुए विधिक सेवा अधिकारी विभूति तिवारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शासकीय मॉडल स्कूल में किया गया, शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश पवन कुमार बांदिलने उपस्थित छात्र-छात्राओं को मानव अधिकार से अवगत कराया और बताया कि ये वे अधिकार है जो कि हमें मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं साथ ही संविधान में प्रावधानित मौलिक अधिकारों को विस्तारपूर्वक वर्णित करते हुए मौलिक कर्तव्यों का भी निरंतर रूप से पालन करने की बात कही साथ ही लोक अदालत के लाभ, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा लीगल सर्विस एप के बारे में जागरूक किया।

जिला जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर

स्वास्थ्यकर्मियों ने बंदियों के अधिकारों की भी दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज ▸▸ रतलाम

जिला जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए निशुल्क के दौरान जिला जेल में स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित करने की बात बंदियों द्वारा प्रस्तुत करा गया रखी थी। इसी को ध्यानरखा से लेते हुए जिला न्यायाधीश अजित कुमार चांदिल, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीनल श्रीवास्तव द्वारा मुख्यालय को जिला जेल में शिविर का आयोजन कराया दिया गया।

इस दौरान डॉ. योगेश दांगी, अतिरिक्त जनसमाज द्वारा डेढ़ सौ बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक दवाईयां प्रदान की गई। सीएमएचओ डॉ. कटारिया ने बताया कि जेल प्रशासन के अनुरोध पर हम समय-समय पर जिला जेल में इस तरह के शिविर आयोजित करते रहेंगे क्योंकि बंदियों की भी कई अधिकार प्राप्त हैं।

शिविर के पूर्व कई विधिक एवं बंदियों के अधिकारों से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। जिलेवार न्याय बोर्ड की प्रिसिपल मजिस्ट्रेट सुश्री मोनिर ग्रुप्ते ने विचाराधीन बंदियों के लिए अंडर ट्रायल लिगु कमेटी धारा 436-ए, गिरफ्तारी के बाद में जेल में रिमाइंड रहने तक बंदियों के अधिकारों की जानकारी विस्तार से प्रदान की। इस अवसर पर सहित कुलेश्वरी, निर्मला शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी पालकराज अग्रवाल सिद्धार्थ, उप-जेल अधीक्षक एनएस राय सहित अन्य उपस्थित थे।

कृषि विज्ञान केन्द्र में विधिक साक्षरता शिविर

नवभारत, दमोह. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमती रेणुका केषन, प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में ..पि विज्ञान केन्द्र दमोह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. उक्त शिविर में श्रीमती गुन्ता डांगे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री एनके गुप्ता, उपसंचालक पशु पालन, श्री मनोज कुमार अहिरवार, वरिष्ठ वैज्ञानिक ..पि विज्ञान केन्द्र, श्री पी.एल. साहू, वैज्ञानिक, डॉ.आर.के.दुबे, तकनीकी अधिकारी, राजेश खामसे, मौसम विज्ञान, नीति आयोग से पदाधिकारीगण एवं किसान उपस्थित रहे. गुन्ता डांगे, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा स्माम किसान योजना 2021 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि आज के समय में खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण की जरूरत होती है. लेकिन बहुत से ऐसे किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है,वह इन ..पि उपकरणों को नहीं खरीद पाते इन सभी समस्याओं को देखते हुये केन्द्र सरकार ने स्माम किसान योजना 2021 को शुरू किया है. इस योजना के जरिये किसान खेती करने के लिये उपकरणों को आसानी से खरीद सकते है. इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने के लिये 50 से 80 तक की सब्सिडी प्रदान की जाने की योजना बनाई है. जिसका लाभ एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. को प्राप्त होगा. साथ ही उक्त योजना को ऑनलाईन पंजीयन कराये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा आपने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिन किसानों के पास 02 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें प्रतिवर्ष 6000/- की राशि तीन किस्तों में प्रदान किये जाने का प्रावधान बताया गया।

साथ ही मीडिएशन, परिवार विवाद समाधान केन्द्र योजना, नेशनल लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना, मo9x0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई. किसानों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया.श्री मनोज कुमार अहिरवार, वरिष्ठ वैज्ञानिक ..पि विज्ञान केन्द्र द्वारा उपस्थित किसानों को आधुनिक खेती के संबंध आवश्यक उपायों को अपनाये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिससे अच्छी फसल हो सके व फसलों में लगने वाले कीडों से बचाव हेतु अच्छी कीटनाशक का उपयोग करने की सलाह दी गई

एक दिवसीय पैनल लॉयर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ

पैनल लायर प्रशिक्षण में विचार व्यक्त करते न्यायाधीश। ● नईदुनिया

मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय एडीआरभवन मंडला में एक दिवसीय पैनल लॉयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश आरएस शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया।

पैनल लॉयर को संबोधित करते हुए भारतीय दंड व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। जेवीएस राजपूत चतुर्थ न्यायाधीश द्वारा आरोपी के अधिकार से संबंधित मुद्दे और जमानत से संबंधित कानून के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।सुभाष सुनहरे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 311,319,205सीआरपीसी से संबंधित मुददों पर जानकारी दी।

विशाल शर्मा द्वितीय जिला न्यायाधीश के द्वारा सिविल प्रकरण पर विशेष जोर देने के साथ ही नागरिकों को सुलभ एवं सरल न्याय कैसे दिलाया जाए इन मुद्दों पर बात की गई। शिविर में जिला न्यायाधीश, प्रीति श्रीवास्तव ने विधिक सेवा प्रा के द्वारा कैसे लोगों को निश्शुल्क

विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण संपन्न

रीवा (नवस्वदेश)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन एवं विपिन कुमार लवानिया एसचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला एवं बाल विकास रीवा से संबद्ध हरि बाल गृह एवं बाल सम्प्रेषण गृह रीवा में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया, ग्यारहवें जिला न्यायाधीश मकेश कुमार यादव, जिला लवानिया एवं श्री यादव द्वारा संस्था के अधिकारी व कर्मचारियों को बालकों की बेहतर तरीके से देखभाल करने व पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। बाल सम्प्रेषण गृह में आयोजित शिविर में लवानिया द्वारा नालसा व सालसा की योजनाएं, बाल श्रम निषेध अधिनियम, श्री यादव द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुआ शिविर

विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

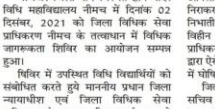

नीमच। जिला नीमच स्थित ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय नीमच में दिनांक 02 दिसंबर, 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न हुआ।

शिविर में उपस्थित विधि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजवर्धन गुप्ता ने विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजना विवाद विहीन ग्राम योजना -2000 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कैसे योजना अनुसार स्वमुहिम प्रयासों से किसी गांव को विवाद -विहीन बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के अनतर्गत किसी गांव को विवाद विहीन ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाता है। चिन्हित विवाद विहीन ग्राम में स्वयंसेवी सेवा दल का गठन किया जाता है, जो कि गांव में उत्पन्न होने वाले छोटे-मोटे विवादों पर नजर रखती है और इसे विवादों को आपसी सूझबूझ, सुलह एवं समझौते से निपटवाए करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिन्हित गांव पूर्णतः विवाद विहीन होने पर, मप्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा ऐसे गांव को विवाद विहीन ग्राम के रूप में घोषित किया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि विधि विद्यार्थी अपने गांव या आस-पास में उत्पन्न होने वाले विवादों से परिचित होकर, यथासम्भव उनका निराकरण आपसी सुलह समझौते के प्रचलित तरीकों जैसे कि किसी गांव को विवाद -विहीन बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के अनतर्गत किसी गांव को विवाद विहीन ग्राम निर्वाचन कर सकते है। श्री जैन ने दिनांक 11 दिसम्बर को आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत तथा उसी माध्यम से कौन कौन से मामले निराकृत हो सकते है, इस संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री विवेक नागर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुये उपर के सम्मेपस्थ ग्राम हिंगोरिया को विधि महाविद्यालय द्वारा गोद लिये जाने के निश्चय की जानकारी दी।

उन्होंने व्यक्त किया कि शीघ्र ही विधिक महाविद्यालय के छात्र ग्राम में जाकर ग्रामवासियों के मध्य विवादों एवं न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करेंगे और प्राप्त आंकड़ो पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच की सहायता से शीघ्र कार्यवाही कर ग्राम को विवाद विहीन बनाने का प्रयास करेंगे। श्री नागर द्वारा महाविद्यालय की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया। विधिक का संचालन महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. नवीन चौहान द्वारा किया गया। विधिक में महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में विधि के विद्यार्थीगण मौजूद थे।

दैनिक भास्कर | शाजापुर 29-12-2021

गरीब परिवार की दो बेटियों की शिक्षा के सामने खड़ी हो गई आर्थिक तंगी

बैंकों ने एजुकेशन लोन से मना किया, न्यायाधीश ने विधि साक्षरता बढ़ाई तो शिक्षा ऋण स्वीकृत

विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुआ शिविर

भास्कर संवाददाता | शाजापुर

मोहल्ले वालिन के घोर में अपना बोरिया बंधारे के साथ मजदूर मेहनत कर रहे रेलवे लाईन कालोनी निवासी के घर एकाएक बोरी की बोरियों के सहारे अचानक हमें बड़ी दीदार बड़ी हो गई। तब जाना माता-पिता की मजदूरी में परिवार का कुछ निकाल मुश्किल जरूर आ रहा था जो मुसीबतें और परिवार की पिता सहारे उनीदे। ऐसे में बेटियों ने भी परिवार की मदद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बेटियों ने रेलवे में नौकरी करने के लिए आवेदन किया था। जिसमें दोनों बेटियों का चयन हो गया। इसी दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक साक्षरता बढ़ाई तो शिक्षा ऋण स्वीकृत हो गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक साक्षरता बढ़ाई तो ऐसी बेटियों को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए शिक्षा ऋण की स्वीकृत हो गया। जिला प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण अध्यक्षता में ऐसी बेटियों के लिए आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक साक्षरता बढ़ाई तो ऐसी बेटियों को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए शिक्षा ऋण की स्वीकृत हो गया।

गरीब घराने के घराने के रूप में सामने आई। ग्राम बिलोदा जिला देवासमाता मालवीय एवं लाला पिता हरनारायण मालवीय रोजी परिवार के रोजगार उनके भाग्य पिता मजदूरी करते हैं। ऐसे में दोनों बहनों को बोरियों वालिन का घोर करने में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दोनों बहनों ने बैंक में जाकर शिक्षा ऋण लेने हेतु आवेदन किया था जो रोजी अर्थात लोन स्वीकार न होने के कारण बहनों द्वारा जिला प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण अध्यक्षता में विधिक साक्षरता बढ़ाई तो शिक्षा ऋण लेने हेतु सहायता प्राप्त की।

विधि जागरूकता से सफल हो रहा बेटियों का सपना

बहनों ने विधिक विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता के सहायता से ग्राम इंदौर में रोजगार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम में प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने कोचिंग फायर्स को सहायता की पहल उपाई। उपरान्त ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर से संपर्क कर दोनों बहनों की पढ़ाई की सहायता करने का आग्रह किया। इस पर न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने बहनों की परिवारिक स्थिति को देखते हुए निःशुल्क कोचिंग करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद दोनों बहनों ने कोचिंग करने में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दोनों बहनों ने बैंक में जाकर शिक्षा ऋण लेने हेतु आवेदन किया था जो रोजी अर्थात लोन स्वीकार न होने के

हम जैसे-जैसे पढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता हैः न्यायाधीश

हरिभूमि न्यूज ▸▸ सीहोर

नगर पालिका की लाइब्रेरी में जिले के यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। अपर जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने छात्र-छात्राओं को विधिक सेवा से जुड़ी जानकारी प्रदान की।

अपर जिला न्यायाधीश श्री दांगी ने विधिक सेवाओं और नियमों की जानकारी दी। वहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। लाइब्रेरी में विधिक सेवा जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक विधियां हैं। हम सभी को इन जरूरी और सामान्य विधियों की जानकारी होना चाहिए। जिससे समय सीमा में न्याय मिल सके और जागरूक नागरिक होने के नाते पीड़ति को न्याय दिलवा सकें। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित व्यक्ति और उनके आश्रितों को निःशुल्क अधिवक्ता के साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता है। अपर जिला न्यायाधीश श्री दांगी ने यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की निःशुल्क तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के सवालों के जवाब विस्तार से दिए।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

M.P. State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001
Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in Toll Free No. 15100